चारा चोर - खजाना चोर

दवा
300 करोड़
अलकतरा
300 करोड़
वन
100 करोड़
जमीन
400 करोड़
बेऊर जेल
पशुपालन घोटाला
980 करोड़

हर घूंट के साथ घोटाला

पशुपालन माफिया दयानन्द कश्यप के साथ घोटाले की मंत्रणा ?

दो शब्दों में .....

लोक तंत्र में जनता द्वारा, जनता के लिए, जनता की सरकार चूनी जाती है। अपने खून की पसीने की गाढ़ी कमाई से आम जनता राज्य का खजाना भरती है और चाभी चुनी हुई सरकार को सौंप देती है। इस विश्वास के साथ कि खजाना का इस्तेमाल राज्य हित और जनहित में सर्वांगीण विकास के लिए किया जायेगा। पर **''रखवाला ही चोर निकल जाय, हिफाजत कर्ता ही लुटेरा हो जाये, रक्षक ही भक्षक ही बन जाये, तो खजाना–मालिक पर क्या गुजरेगी, उसकी दशा क्या होगी ?''** बिहार के लिए यह सवाल अब पहेली नहीं रह गया है। राज्य की बदहाली और जनता की दुर्दशा इसका उत्तर दे रही है।

मार्च 1990 में बिहार की कांग्रेस कुशासन से छुटकारा मिला और सरकार की बागडोर जे. पी. आंदोलन के सिपाहियों में से एक के हाथ आयी तो लगा कि समय ने सही दिशा में करवट लिया है और बिहार को गरीबी, बदहाली, भ्रष्टाचार के चंगुल से मुक्त होने का मौका आ गया है। मगर हुआ ठीक उल्टा। जिसपर बिहार की गरीबी और जहालत को दूर करने की जिम्मेदारी सौंपी गयी, उसने भी न केवल लूट, भ्रष्टाचार और पाखंड वहीं कांग्रेसी राह पकड़ ली, बल्कि तेज रफ्तार वाले नये–नये रास्ते भी इजात कर लिया। 1990 तक पशुपालन घोटाला में कांग्रेसी सरकारों न केवल 40 करोड़ रूपयों की लूट की थी। 1990 के बाद के पांच वर्षों में लालू सरकार ने इस घोटाला में 2000 करोड़ रूपया से अधिक लूट लिया। इसके अलावा वन घोटाला, अलकतरा घोटाला, दवा घोटाला, ऑडिट घोटाला अधिकााई–व्यय घोटाला, समायोजन घोटाला, मंत्री परिषद घोटला, जमीन घोटाला आदि नये–नये घोटालों को अंजाम दे दिया। यहाँ तक की मंत्रिमंडल व्यय शीर्ष 2013 को भी घोटालेबाजों ने नहीं छोड़ा। **कुल मिलाकर लालू राज में 10 हजार करोड़ रूपयों से अधिक का घोटाला हुआ और वह भी सीधे मुख्यमंत्री का जानकारी और भागीदारी में।**

इन घोटालों ने बिहार की कमर तोड़ दी है। गरीबी और बेरोजगारी बढ़ी है। गरीब और गरीब हो गये। नेशनल सम्पुल सर्वे के अनुसार आज गरीबी रेखा के नीचे रहने वालों की संख्या बिहार में सबसे अधिक है। 1990 में गरीबी रेखा के नीचे रहने वालों की संख्या करीब 40 प्रतिशत थी, जबकि अब 50 प्रतिशत से भी अधिक है। सरकारी फिजुलकर्ची और घोटालेबाजी के कारण राज्य पर 18,000 करोड़ रूपयों से अधिक का कर्ज हो गया है। राज्य का हर बालिग लालू–राज में औसतन 2000 रूपये का कर्जदार है।

1987 में मात्र 60 करोड़ रूपये के ''बोफर्स घोटाला'' पर विश्वनाथ प्रताप सिंह ने आसमान सर पर उठा लिया और राजीव गांधी की सरकारी बदल गयी। पर जो लोग गांधी, लोहिया और

जयप्रकाश के सपनों की कसमें खाते नहीं अघाते थे, *वे 10,000 करोड़ रूपया से अधिक के बिहार में हुये घोटालों पर चुप्पी साधे बैठे हैं।* बात–बात में बिदकने वाले वामपंथी दलों को भी काठ मार गया है। इस पाप में वे भी बराबर के भागीदार हैं। केन्द्र की संयुक्त मोर्चा सरकार बिहार की घोटालाबाज सरकार को बचाने लगी है और कदम–कदम पर अपने प्रभाव का दुरूपयोग कर पशुपालन घोटाला की सी0बी0आई0 जांच में बाधा डाल रही है।

मुख्यमंत्री सी0बी0आई0 द्वारा गत 6 जनवरी को की गई लगातार छः घंटों की पूछताछ से स्पष्ट हो गया है कि श्री लालू प्रसाद ही घोटाले की असली सरगना है। सबूत सामने आ जाने पर वे अब इसकी जिम्मेवारी अफसरों पर थोपने की चाल चल रहे हैं।

न्यायपालिका में आम जनता की भावनाओं की जीत हुई है। सी0बी0आई0 जांच में अब तक सामने आये सबूतों ने घोटालेबाजों के चेहरे से नकाब उतार दिया है। घोटाला का सूत्रधार पहचाना जा चूका है। उसके चारों धीरे–धीरे कानून का शिकंजा कसता जा रहा है। पशुपालन घोटाला के अलावा भी अन्य घोटाला कम संगीन नहीं है।

प्रस्तुत पुस्तिका के पन्नों में इन घोटालों और घोटलेबाजों के काले कारनामों की झलक मात्र है। संक्षेप में आम जनता को घोटालों के आयामों से अवगत कराना, पुस्तिका प्रकाशन का उद्देश्य है। आशा है यह पुस्तिका आम जनता में जागरूकता लाने तथा घोटालों और भ्रष्टाचारों की राजनीति के खिलाफ संघर्ष हेतु प्रेरित करने के अपने उद्देश्य में सफल होगी।

पुस्तिका में संकलित किये गये आंकड़े पूर्व में अनेक समाचार पत्र–पत्रिकाओं एवं संवाद माध्यमों में प्रकाशित/प्रसारित हो चुके हैं। जहाँ से ये आंकडे लिये गये हैं उन माध्यमों केप्रति हम विशेष रूप से आभारी है।

अनेक मित्रों एवं शुभचिंतकों से सक्रिय सहयोग प्राप्त हुआ है, इनके बिना पुस्तिका का प्रकाशन संभव नहीं हो पाता। इस सब मित्रों और शुभचिंतकों के प्रति हमसब आभारी है।

और अन्त में अपने सहयोगी *श्री विरेन्द्र कुमार झा* तथा अपने मित्र एवं वरिष्ठ भाजपा कार्यकर्त्ता श्री कुमुद बिहारी सिंह के हम विशेष आभारी हैं।

सरयू राय
महामंत्री
बिहार प्रदेश भारतीय जनता पार्टी

सुशील कुमार मोदी
नेता, विरोधी दल
बिहार विधान सभा

महाघोटाला–पशुपालन घोटाला–लालू पर चार्जशीट

पशुपालन घोटाला की सी0बी0आई0 जांच के दौरान जो सबूत सामने आ रहे हैं उनसे साफ हो गया है कि श्री लालू प्रसाद न केवल इस घोटाला में आकंड डूबे हुये हैं, बल्कि वे ही इसके असली सुत्रधार भी हैं और घोटाला की शुरूआत से ही श्री लालू प्रसाद इससे किसी न किसी रूप में जुड़े हुये हैं।

- अपना पूरा छात्र जीवन श्री लालू प्रसाद ने पटना के वैटनरी कॉलेज कैम्पस में गुजारा है, जो वर्षों से पशुपालन माफिया का चारगाह रहा है। आज पशुपालन माफिया के रूप मं कुख्यात व्यक्तियों की कृपा से लालू जी0बी0ए0 पास करने के बाद वेटनरी कॉलेज में तृतीय श्रेणी के कर्मचारी के रूप में नियुक्त हो गये। जे0 पी0 आंदोलन के दौरान इनकी राजनीतिक गतिविधियाँ इन्हीं लोगों के आर्थिक सहयोग पर आश्रित थी। 1977 में पहली बार सांसद बनने के बाद लालू जी माफिया तत्वों के एजेन्ट के रूप में काम करने लगे और इसके बाद सांसद, विधायक, विपक्ष के नेता तथा मुख्यमंत्री के रूप में वे जमकर पशुपालन माफिया गिरोह के इशारे पर ट्रांसफर–पोस्टिंग तथा उनके हित में विभिन्न प्रकार की ''पेरवी'' में लगे रहे और बदले में इनसे लाभान्वित होते रहे। आज माफिया सरगना के रूप में कुख्यात डा0 श्याम बिहारी सिन्हा, डा0 के0 एम0 प्रसाद, डा0 राम राज राम, डा0 ओ0 पी0 दिवाकर, डा0 बी0 एन0 शर्मा आदि के पक्ष में इनके द्वारा की जाती रही पैरवियां और इनके पक्ष में किये गये गैर कानूनी कार्यों का भांडा अब पूरी तरह फूट चुका है। निगरानी विभाग के एक अफसर विधु भूषण द्विवेदी ने सी0बी0आई0 को पत्र लिखकर पशुपालन घोटाला में श्री लालू प्रसाद के शामिल होने से संबंधित सबूतों का पुलिंदा सी0बी0आई0 को पेश कर दिया।

- डा0 राम राज राम को प्रोन्नति दिलाने और उन्हें पशुपालन विभाग का निदेशक बनवाने का तो लालू जी ने ठेका ही ले लिया था। श्री बिन्देश्वरी दुबे, श्री भागवत झा आजाद, श्री सत्येन्द्र नारायण सिन्हा आदि मुख्यमंत्रियों तथा उस समय के मुख्य सचिव को श्री लालू प्रसाद ने आधा दर्जन से अधिक पत्र इसके लिए लिखे और विभिन्न प्रकार के तर्क देकर

डा0 राम राज राम को पशुपालन विभाग का निदेशक बनवाने के लिये दबाव डाला अंततः विपक्ष के नेता के रूप में श्री लालू प्रसाद का यह दबाव डालो अभियान सफल हुआ और 1989 में डा0 राम राज राम को सरकार ने गलत तरीके से पशुपालन निदेशक बना दिया।

- विधान सभा की निवेदन समिति ने, जिसके अध्यक्ष श्री राम लखन सिंह यादव थे, 1989 में ही पशुपालन घोटाला के लिये जिम्मेदार लोगों को चिन्हित किया और 30 करोड़ के घोटाले की जांच सी0बी0आई0 से कराने की अनुशंसा की। 1990 के आरंभ में ही श्री लालू प्रसाद मुख्यमंत्री बन गये। निवेदन समिति की यह रिपोर्ट विधान सभा का मुंह नहीं देख सकी और घोटाला की जांच भी नहीं करायी गई।

- इसी समय महालेखाकार की अंकेक्षण रिपोर्ट से पशुपालन घोटाला के नये आयाम का पता चला जिसमें हरिजनों, आदिवासियों और कमजोर वर्ग के लोगों को पशुओं की फर्जी आपूर्ति कागज पर कर दी गई थी। जिन वाहनों पर पशुओं को ढोकर गरीबों की बीच बांटा गया था, जांच होने पर वे वाहन स्कूटर, मोटर साईकिल, जीप, कार और मोपेड निकले। लालू प्रसाद मंत्रिमंडल में तत्कालीन पशुपालन मंत्री श्री राम जीवन सिंह ने इस घोटाले की जांच सी0बी0आई0 से कराने के लिये आदेश दिया था परन्तु मुख्यमंत्री के रूप में श्री लालू प्रसाद ने इस पर रोक लगा दी और फाइल अपने पास रख ली।

- इस मामले में निगरानी विभाग ने भी 34/90 के नाम से मशहूर मुकदमा दायर किया था, जिसमें पशुपालन निदेशक डा0 राम राज राम का भी नाम था। लालू जी ने इस मुकदमा से डा0 राम राज रामकर नाम हटवा दिया और उन्हें आरोप मुक्त कर दिया। यह मामला 1991–92 में ही विधान सभा में और विधान परिषद में उठाया गया। मुख्यमंत्री लालू प्रसाद ने जबाव दिया कि इसकी सी0बी0आई0 से नहीं बल्कि यू0 एन0 ओ0 से भी कराने को वे तैयार हैं, मगर यह जांच कभी नहीं कराई गई।

- 1992 में भी आयकर अधिकारियों ने राँची हवाई हड्डा पर और पशुपालन माफिया के अन्य ठिकानों पर छापा मारकर 3 करोड़ रूपये से अधिक की अवैध संपत्ति पकड़ी गई। छापा में घोटाले बाजों की एक डायरी भी पकड़ी गयी, जिसमें पशुपालन माफिया द्वारा सरकारी खजाने से लूटी गई राशि का बंटवारा का विवरण था। आयकर अधिकारियों ने अपने स्तर से कार्रवाई की और बिहार के अफसरों के खिलाफ विभागी कार्रवाई करने के लिये बिहार सरकार को लिखा। मगर लालू जी ने कोई कार्रवाई नहीं होने दी।

- पशुपालन माफियाओं की पहचान 1990 से 1992 के बीच पूरी तरह से ही गयी थी। मगर इन्हें पकड़ने और दंडित करने के बदले श्री लालू प्रसाद ने नियमों के विरूद्ध जाकर इनकी मदद की और सरकारी खजाने पर डाका डालने का अवसर प्रदान किया। पशुपालन माफिया के रूप में कुख्यात डा0 श्याम बिहारी सिन्हा और इनके गिरोह के आर0 के दास, जी0 एन0 शर्मा, इन्द्रभान प्रसाद आदि इस समय रिटायर हो रहे थे। इनकी सेवा अवधि बढ़ाने का षड्यंत्र हुआ। वित्त विभाग ने, और एकाध मामलों में पशुपालन सचिव ने इसकी सेवा अवधि बढ़ाने का विरोध भी किया। मुख्यमंत्री को इन पर चल रहे मुकदमों और भ्रष्टाचार के आरोपों की भी जानकारी दी गई। मगर लालू प्रसाद ने इसकी परवाह किये बिना माफियाओं को सेवा अवधि विस्तार दे दिया।

- नतीजा हुआ कि मुख्यमंत्री का हाथ अपनी पीठ पर पाकर पशुपालन माफिया गिरोह खुलकर खेलने लगा। वर्ष 1990 में श्री लालू प्रसाद के मुख्यमंत्री बनने के पहले कुल मिलाकर पशुपालन माफिया ने सरकारी खजाना करीब 21.70 करोड़ रूपया निकाला था। लालू जी के मुख्यमंत्री बनते ही 1990–91 वर्ष 29.20 करोड़ रूपये की अवैध निकासी हो गई। यह निकासी हर साल बढ़ते गये। 1991–92 में पशुपालन माफिया ने आवंटन से 70.72 करोड़ रूपया अधिक 92–93 में 87.77 करोड़ रूपया अधिक, 93–94 में 125.03 करोड़ रूपया अधिक और 94–95 में 170.61 करोड़ रूपया अधिक निकाल लिया। वर्ष 1995–96 में भी 122.94 करोड़ रूपया की अधिक निकासी अवैध रूप से पशुपालन माफिया ने कर लिया। कुल मिलाकर श्री लालू प्रसाद के मुख्यमंत्री बनने के बाद 606.36 करोड़ रूपया की अवैध निकासी पशुपालन माफिया ने बिहार के खजाना से कर ली।

- *समूची निकासी लालू प्रसाद की जानकारी में और उनके प्रत्यक्ष परोक्ष समर्थन से हुई। लूट का बड़ा हिस्सा मुख्यमंत्री को भी मिला।*

- लालू प्रसाद और उनके संबंधियों द्वारा विगत् 6 वर्षों में पटना, दानापुर, छपरा, गोपालगंज सहित देश के कई बड़ें शहरों में खरीदे गये जमीन और मकान तथा जमा की गई संपत्ति इसका प्रमाण है।

- *पशुपालन माफिया की मदद हर स्तर पर मुख्यमंत्री ने की और उसमें कांग्रेस के नेता डा0 जगन्नाथ मिश्रा और राजो सिंह, जगदीश शर्मा आदि को सहयोगी बनाया। रिटायर्ड हो रहे माफियाओं की सेवा अवधि बढ़ाने के लिए सिफारिशी चिट्ठी डा0 जगन्नाथ मिश्र, श्री राजो सिंह और जगदीश शर्मा ने लिखी और इन चिट्ठियों के आधार पर मुख्यमंत्री लालू प्रसाद ने सेवा अवधि विस्तार कर दी।*

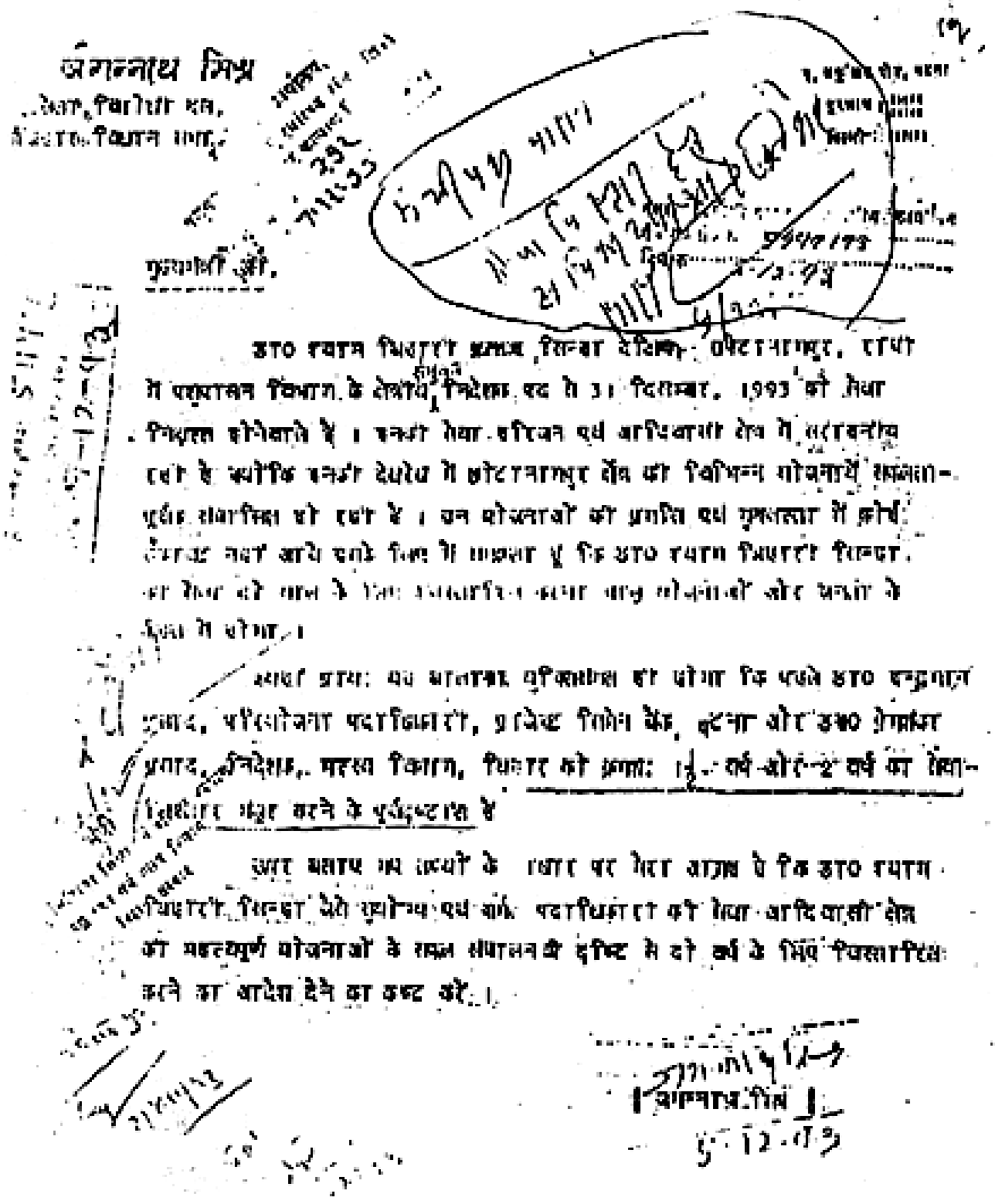

जगन्नाथ मिश्र

डा० श्याम बिहारी सिन्हा देखिये, घोटारागपुर, राधो में पशुपालन विभाग के सेवायें निदेशक पद से 31 दिसम्बर, 1993 को सेवा निवृत्त होनेजाते हैं । उनकी सेवा-विस्तार एवं अतिरिक्तता देय में वृद्धिकरण दिया है क्योंकि उनका देखरेख में घोटारागपुर क्षेत्र की विभिन्न योजनायें समयाबद्ध समाप्ति की दिशा में है । उन योजनाओं की प्रगति एवं गुणवत्ता में कोई उल्लेखनीय कमी आये इसके लिए ही आवश्यक है कि डा० श्याम बिहारी सिन्हा, का सेवा को बाद के लिए अतिरिक्तता कार्य वाले योजनाओं और अन्यों के लिए में होगा ।

अतः प्रार्थी का आवश्यक परिवर्तन हो होगा कि पहले डा० रघुनाथ प्रसाद, परियोजना पदाधिकारी, प्रोजेक्ट सिविल कैंप, दुर्गा और डा० रामेश्वर प्रसाद, निदेशक, मत्स्य विभाग, बिहार को क्रमशः 1½ वर्ष और 2 वर्ष का सेवा-विस्तार प्रदान करने के पूर्वोदाहरण हैं

अतः उपरोक्त तथ्यों के आधार पर मेरा आग्रह है कि डा० श्याम बिहारी सिन्हा जैसे सुयोग्य एवं कार्य पदाधिकारी को सेवा आदिवासी क्षेत्र की महत्वपूर्ण योजनाओं के सफल संचालन की दृष्टि से दो वर्ष के लिए एक्सटेंशन करने का आदेश देने का कष्ट करें ।

चोर–चोर मौसेरे भाई

डा0 जगन्नाथ मिश्रा के पत्र पर, लालू प्रसाद द्वारा घोटाला सरताज डा0 श्याम बिहारी सिन्हा को सेवा विस्तार

- पशुपालन घोटाला को दबाये रखने और इसके दोषियों की मदद करने में लालू प्रसाद ने न केवल अपने पद और प्रभाव का इस्तेमाल किया बल्कि अपने अधिनस्थ विभागों का भी दुरूपयोग किया। वित्त विभाग ने सरकारी खजाने से निकासी के नियमों को शिथिल कर दिया। आर्थिक संकट के कारण अन्य सभी विभागों के लिए प्रति माह गैर योजना आवंटन के 8% राशि निकासी की सीमा थी परन्तु पशुपालन विभाग के लिये यह सीमा कोषागार निदेशक ने ट्रेजरियों को बाजाप्ता परिपत्र जारी कर समाप्त कर दिया।

- जब रांची और डोरंडा के कोषागारों ने पशुपालन विभाग के संदेहास्पद विपत्रों पर रोक लगाना आरंभ किया तो वित्त विभाग के संयुक्त सचिव ने दो–दो बार पत्र लिखकर कोषागार अधिकारियों को झिड़का और स्पष्टीकरण पूछा। ध्यान रहे कि लालू प्रसाद मुख्यमंत्री के साथ–साथ वित्त मंत्री भी हैं।

- 11 अक्टूबर 1991 को भारतीय जनता पार्टी ने बिहार सरकार के खिलाफ एक आरोप पत्र प्रकाशित किया जिसमें पशुपालन घोटाला की चर्चा विस्तार से की गई थी। यह आरोप पत्र अखबार ने भी प्रमुखता से छापा और इसे मुख्यमंत्री के पास भी भेजा गया। परन्तु कोई कार्रवाई नहीं हुई।

- *आज भी मुख्यमंत्री भ्रम फैलाने में लगे हैं कि उन्होंने ही पशुपालन माफिया के खिलाफ कार्रवाई शुरू की। पर सच्चाई यह है कि **1992** में आयकर विभाग ने पशुपालन माफिया के खिलाफ छापामारी की और अवैध संपत्ति पकड़ा तो राँची से प्रकाशित ''प्रभात खबर'' को लगातार **3** सप्ताह तक पशुपालन घोटाला के विभिन्न पहलुओं और पशुपालन माफियाओं की कारगुजारियों को उजागर करने वाली खबरें प्रथम पृष्ठ पर प्रमुखता से प्रकाशित करता रहा। आयकर अधिकारियों ने बिहार सरकार को सूचित भी किया। विपक्षी दलों ने भी कार्रवाई की मांग की मगर मुख्यमंत्री कान में तेल डालकर बैठे रहे।*

- *भाजपा के सांसद ललित उरांव ने लोक सभा में पशुपालन माफिया के बारे में सवाल पूछा तो बिहार सरकार ने जबाव दिया कि पशुपालन विभाग में कोई माफिया नहीं है। इसी तरह **1994** में पटना उच्च न्यायालय में पशुपालन माफिया पर कार्रवाई के लिए 'रिट' दाखिल किया और आरोप लगाया कि राज्य सरकार पशुपालन माफिया को संरक्षण दे रही है। इन आरोपों को बेबुनियाद बताते हुए राज्य सरकार की ओर से शपथ पत्र पर इन आरोपों को बेबुनियाद बताया गया और पशुपालन विभाग में घोटाला होने की संभावना से इंकार किया गया। नतीजतन 'रिट' खारिज हो गयी।*

- **केन्द्रीय सतर्कता आयोग** ने सांसद राम शरण प्रसाद यादव की शिकायत पर बिहार सरकार को पशुपालन घोटाला की जाँच करने का निर्देश दिया। जाँच आरंभ हुई मगर **इसे बीच में रहस्यमय ढ़ग से रोक दिया गया।**

- **मई 1993 में जिलाधिकारियों की बैठक में** कोषागार की समीक्षा के दौरान मुख्य मंत्री की उपस्थिति में चाईबासा के जिलाधिकारी के यहाँ के जिला पशुपालन अधिकारी बी. एन.शर्मा पर 50 लाख रूपये की अवैध निकासी का आरोप लगाया । मुख्य मंत्री ने तत्काल उसे निलंबित करने का आदेश दिया । मगर 15 दिनों के बाद निलंबन का यह आदेश वापस ले लिया गया । और **बी.एन. शर्मा को पुरस्कारस्वरूप राँची में जिला पशुपालन अधिकारी के पद पर भेज दिया।**

- **संथाल परगना के क्षेत्रीय पशुपालन अधिकारी डॉ0षेषमुनी राम** के मसले को रफा–दफा करने मे **मुख्य मंत्री की भूमिका भी काफी दिलचस्प है**। डॉ0षेषमुनी राम ने कोषागार से 50 लाख रूपये की अवैध निकासी कर ली । निगरानी विभाग ने जाँच आरंभ किया तो **मुख्य मंत्री** ने लोक लेखा समिति के अध्यक्ष जगदीश शर्मा के पत्र पर आदेशात्मक अनुशंसा लिखकर जाँच रूकवा दिया और संचिका नौ महिने तक अपने पास दबाये रखा। घोटाला का भंडाफोड़ हो जाने के बाद 8 फरवरी '96 को उन्होंने संचिका निगरानी विभाग को लौटायी। **ध्यान रहे कि रहे कि निगरानी विभाग भी मुख्यमंत्री के अधीन** है। दिसम्बर 1995 के अंतिम सप्ताह मे विधानसभा के सामने महालेखाकार द्वारा पिछले तीन वर्षो का वित्त लेखे और विनियोग लेखे के साथ अंकेक्षण प्रतिवेदन रखा गया । इसमें पशुपालन विभाग में हुई अरबों रूपये की अवैध निकासी का विस्तृत विवरण था।जब बिहार सरकार द्वारा कोई कार्रवाई नहीं हुई तो **भाजपा के प्रदेश महासचिव श्री सरयू राय ने 6 जनवरी 1996 को मुख्य मंत्री और वित्त सचिव को पत्र लिखा और बताया कि विनियोग लेखे में दर्ज पशुपालन विभाग द्वारा अधिकायी व्यय वास्तव में अवैध निकासी है और उक बड़ा घोटाला है।** फिर भी कोई कार्रवाई मुख्यमंत्री स्तर से नहीं हुई।

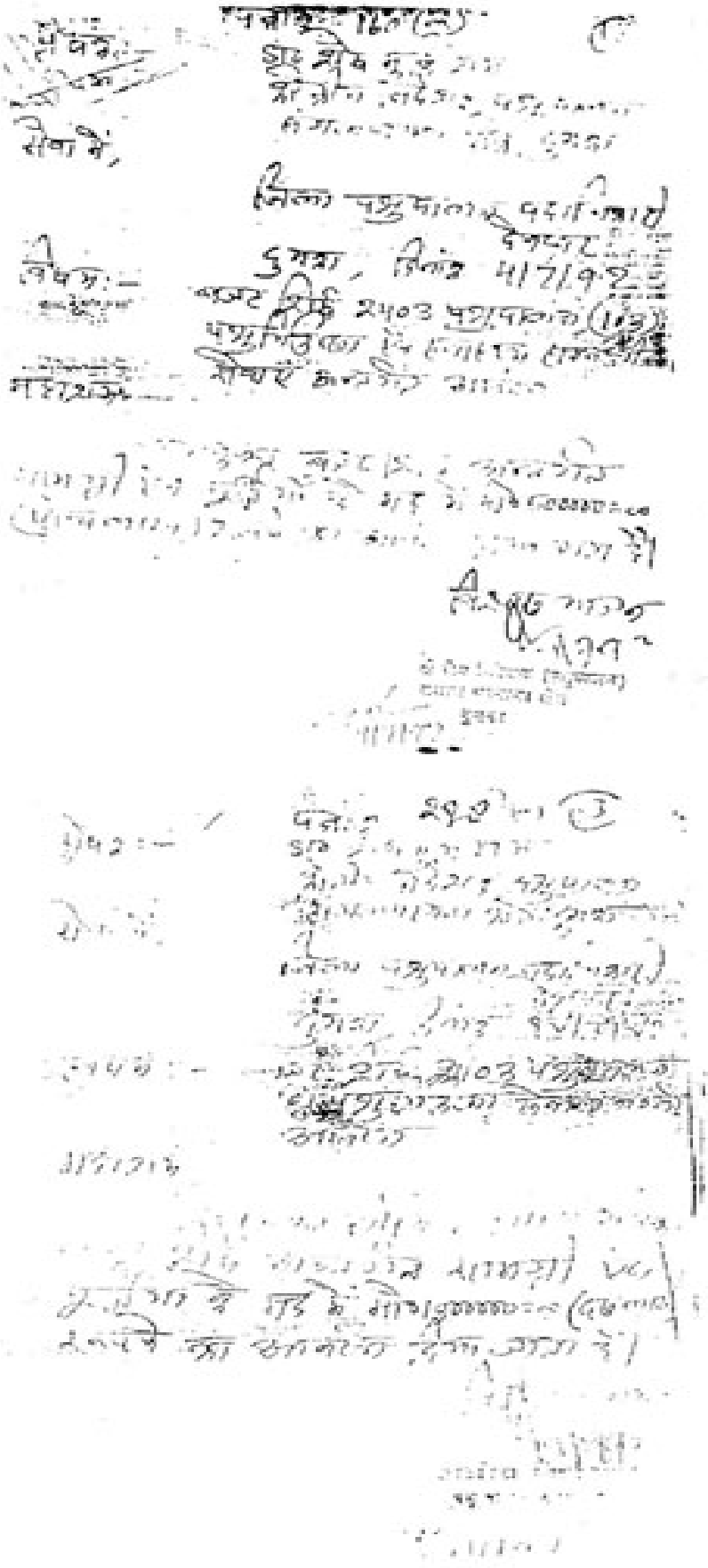

इस तरह हुई लूट, फर्जी आवंटन पत्रों के द्वारा

- जनवरी '96 तीसरे सप्ताह में वित्त आयुक्त ने कोषागारों के निरिक्षण का आदेश दिया और चाईबासा के जिलाधिकारी ने इसके अनुपालन में वहाँ के कोषागार की जाँच की तो 25 जनवरी 96 को वहाँ से अवैध निकासी का भंडाफोड़ हुआ । तब लालू प्रसाद, जनता दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष बनने की जुगत भिड़ाने में व्यस्त थे।
- एक ओर चाईबासा का जिलाधिकारी पशुपालन माफिया क कुकष्त्यों को उजागर कर रहा था तो दूसरी ओर **25 जनवरी'96 को ही लालू प्रसाद राँची में कुख्यात पशुपालन आपुर्तिकर्ता मो0सईद का आतिथ्य स्वीकार कर रहे थे**। जिसकी **तस्वीर** समाचार पत्रों प्रकाशित हो चुकी है।
- **राँची के ही पशुपालन माफिया दयानन्द कश्यप पर मुख्य मंत्री की मेहरबानी जग जाहिर है**। 1993 में दयानन्द कश्यप के घर छापा मार कर आयकर अधिकारीयों ने करोड़ों की संपत्ति पकड़ा था। इस घटना के तुरंत बाद **दयानन्द कश्यप को प्रतिष्ठा दिलाने के लिए मुख्य मंत्री ने उसे राँची जिला 20 सुत्री कार्यक्रम कार्यान्वयन समिति का अध्यक्ष मनोनीत कर राज्य मंत्री का ओहदा दे दिया।**
- **पशुपालन माफिया श्याम बिहारी सिन्हा तथा आर.के.राणा को मुख्य मंत्री श्री लालू प्रसाद ने राँची के विशप वेस्टकाट नामकुम में पढ़ रहे अपन तीन बच्चों का स्थानिय अभिभावक बना रखा था। सी.बी.आई द्वारा जब्त कागजात के अनुसार उपरोक्त दोनों माफिया को ही केवल बच्चें से मिलने के लिए अधिकुत किया गया था तथा आगंतुक रजिस्टर में इन बच्चों का संबंध चाचा के रूप में उल्लेखित है।**
- **पाटलीपुत्र ट्रेवल्स क मालिक श्री जे0पी0 वर्मा उनकी पत्नी तथा पुत्र पशुपालन विभाग के आपूर्तिकर्ता थे समय समय पर श्री लालू प्रसाद के परिवार के सदस्यों तथा डॉ0आर0के0राणा,डॉ0ष्याम बिहारी सिन्हा आदी के लिए हवाई जहाज के टिकट कटाया करते थे । 21 अक्टुबर'95 को जब श्री लालू प्रसाद अमेरिका से लौट रहे थे उस समय श्री प्रसाद के 9 बच्चों के दिल्ली आने जाने का हवाई टिकट श्री वर्मा ने खरीदकर स्वयं भुगतान किया ।**
- पशुपालन घोटाला का भांडा फूटते ही मुख्य मंत्री ने इसे दबान की पुरजोर कोशिश की । अपने चहेते आई0ए0एस अधिकारी को तुरंत छोटानागपुर,संथाल परगना के जिलों में दौड़ाया और जिलाधिकारीयों को कोषागारों की **जाँच में सुस्ती बरतने का निर्देश भिजवाया** मगर **तब तक भारतीय जनता पार्टी इस मामले में सक्रिय हो चुकी थी।** नतीजन रोज एक पर एक रहस्यों का पर्दाफाश होने लगा।
- **भाजपा ने घोटाला की जाँच सी0बी0आई से कराने की मांग की तो मुख्य मंत्री विरोध में खड़े हो गये और एक विशेष जाँच दल का गठन कर दिया जिसमे पशुपालन निदेशक डॉ0राम राज राम ,पशुपालन सचिव बेक जुलियस भी सदस्य बनाये गये** । वित्त आयुक्त फूलचंद सिंह के जिम्मे इसकी देख–रेख थी। यह सभी अधिकारी आज सी0बी0आई जाँच के कटघरे में हैं।
- इस विशेष जाँच दल का असली मकसद पशुपालन घोटाा के सबुतों का अपने कब्जे में लेना था और इसने यही किया भी। इस जाँच दल द्वारा नष्ट किये गये सबूतों के कारण सी0बी0आई को काफी कठिनाइयों का सामना करना पड़ा है।

- पशुपालन घाटाला की सी.बी.आई जांच के लिए भाजपा ने उच्च न्यायालय में मुकदमा दायर किया तब मुख्य मंत्री क निर्देश पर बिहार सरकार की पुरी शक्ति इसके विरूद्ध लग गई । उच्तम न्यायालय से भी वकील बुलाये गये। उच्च न्यायालय द्वारा सी.बी.आई से जाँच कराने का आदेश दे दिये जाने बाद भी मुख्य मंत्री नहीं माने और उन्होंने हाईकोर्ट के निर्णय के खिलाफ" सुप्रीम कोर्ट" में अपील दायर कर दी । मगर वहाँ भी उन्हें मुँह की खानी पड़ी । सुप्रिम कोर्ट ने न केवल हाई कोर्ट का निर्णय बहाल रखा बल्कि जाँच की देख–रेख का जिम्मा भी पटना हाई कोर्ट को सौंप दियाफ।
- इसके बाद भी मुख्यमंत्री सी.बी.आई की जाँच को प्रभावित करने से बाज नहीं आ रहें है। वे अपने पद का और केंद्र में अपने दल की सरकार होने का नाजायज फायदा उठा रहें है और सी.बी. आई अधिकारीयों को प्रभावित करने की कोशिश में लगे है।

पशुपालन घोटाला : महालेखाकार के आँकड़ों में

1. पशुपालन घोटाले का मुख्य केंद्र छोटानागपुर –संथाल परगना के 5 जिले राँची, चाईबासा, दुमका, जमशेदपुर,गुमला तथा पटना जिला था जहाँ 1993–94 से 1995–96 के तीन वर्षो में 469.62 करोड़ रूपए खजाने से निकाले गये ।
2. 959 भेड़े, 5664 सुअर, 40,504 मुर्गी, 1577 बकरी के लिए उपरोक्त 6 जिलों में 10.5 करोड़ के चारे की आवश्यकता थी जिसके विरूद्ध 253.33 करोड़ की फरजी खरीद की गयी।
3. पशु चारा में पिला मक्का केवल 10 प्रतिशत होता है। परन्तु 3 वर्षो में केवल 6 जिलों में आवश्यकता का 115 गुना अधिक 154.72 करोड़ रूपये का पीला मक्का की फर्जी खरीद दिखा दि गयी।
4. बादाम की खल्ली संयुक्त आहार में 15प्रतिशत होती है। परन्तु 33 गुना अधिक जिसकी कीमत 72.69 करोड़ रूपए होती है, खरीद दिखा दि गयी।
5. मुख्यालय से पंचायत तक पशुओं को पहुँचाने के लिए ट्रांसपोर्टरों ने ट्रान्सर्पोट का जो फर्जी बिल बनाया उसमें ट्रेकर,पुलिस वेन, बस, तेल टैंकर, स्कूटर, आटोरिक्शा से ढुलाई दिखाकर करोड़ो रूपये का भुगतान प्राप्त कर लिया गया।
6. राँची के होटवार स्थित दुग्ध आपूर्ती–सह–डयरी फार्म, होटवार के महाप्रबंधक डॉ0 जेनुअल भेंगराज मछली का चाइयाँ, गेहुँ की भुस्सी और बादाम तो खरीदते ही थे, उन्होंने भैंस के सींग में तेल लगाने के लिए 15 लाख रूपये का 49 हजार 950 किलो सरसों का तेल खरीद लिया।

अब यह बात अलग है कि सी0बी0आई यह पता कर रही कि यह तेल वास्तव में किन राजनेताओं को लगाया गया ?

7. पशुपालन घोटाले की जाँच करने के लिए मुख्य मंत्री श्री लालू प्रसाद ने तीन लोगों की जाँच समिति बनायी थी । उस समिति के तीनों सदस्य श्री फूलचंद सिंह, श्री बेक जूलियस तथा डॉ0 राम राज राम से सी.बी.आई दर्जनों बार पुछ–ताछ कर चुकी है तथा घोटाले के आरोप में इन तीनों पर चार्जशीट दाखिल करने की तैयारी हो रही है।

वाह रे लालू का कमाल ! घोटाले की जाँच का जिम्मा घोटालेबाजों को ही दे दिया।

जब सैंया भये कोतवाल तो डर काहे का ?

(रूपये करोड़ में)

वर्ष	मुख्य मंत्री	बजट प्रावधान (मूल +अनुपूरक)	वास्तविक खर्च	अधिक व्यय	अधिक व्यय का प्रतिशत
1987–88		33.07	39.99	+6.92	21
1988–89		36.77	42.90	+6.13	17
1989–90	जगन्नाथ मिश्र	42.80	51.45	+8.65	20
1990–91	लालू प्रसाद	54.92	84.21	+29.29	53
1991–92	लालू प्रसाद	59.10	129.82	+70.72	120
1992–93	लालू प्रसाद	66.93	154.70	+87.77	131
1993–94	लालू प्रसाद	74.14	199.17	+125.03	169
1994–95	लालू प्रसाद	74.40	245.01	+170.61	229
1995–96	लालू प्रसाद	82.12	205.06	+122.94	150

पशुपालन विभाग में लुट का आंकड़ा

- काँग्रेसी शासनकाल से ही पशुपालन विभाग में लूट का सिलसिला प्रारम्भ हुआ। 1987–90 के तीन वर्ष में 21.70 करोड़ रूपये बजट आवंटन से ज्यादा निकाल लिए गए । परन्तु लालू प्रसाद के मुख्य मंत्री बनते ही लूट डकैती में बदल गयी । लालू जी के मुख्य मंत्रीत्व के पहले ही साल 29.29 करोड़ अधिक निकाल लिए गए। दूसरे साल 70.72 करोड़, तीसरे साल ,87.77 करोड़ , चौथे साल 125.03 करोड़ पाँचवे वर्ष 170.61 करोड़, छठे वर्ष जब घोटाला उजागर हुआ तो 122.94 करोड़ आवंटन से अधिक निकाले गये।

छपे हुए बजट में अधिक व्यय का उल्लेख

बजट तो प्रत्येक वर्ष वित्त मंत्री होने के नाते लालू प्रसाद ही विधान मंडल में रखा करते थे। 1992–93 से प्रत्येक वर्ष के बजट में पशुपालन विभाग में आवंटन से अधिक व्यय का उल्लेख था।

बजट वर्ष	विधान सभा में रखे जाने की तिथि	वर्ष जिसके वास्तविक व्यय का जिक्र था	अधिक राशि जिसका उल्लेख था
1992–93	31.7.92	1989–90	8.65
1993–94	30.7.93	1990–91	29.29
1994–95	28.7.94	1991–92	70.72
1995–96	24.7.95	1992–93	87.77

आपने ही बजट रखा । आपके ही बजट में अधिक व्यय का उल्लेख था। **फिर चुप क्यों थे?** 31 जुलाई '92 को जब 1992–93 का बजट रखा गया जिसमें 1989–90 के 8.65 करोड़ अधिक व्यय का जिक्र था , यदि कार्रवाई की गई होती तो 1000 करोड़ के घेटाले को रोका जा सकता था।

बिहार सरकार के वित्त विभाग ने महालेखाकार की तीन ऑडिट रिर्पोट नबम्बर'1993 से नबम्बर'1994 के बीच प्राप्त की जिसमें पशुपालन विभाग में अधिक व्यय का जिक्र था। 1990–91 की ऑडिट रिर्पोट जो नबम्बर'94 में प्राप्त हो गयी थी, पर कार्रवाई की गई होती तो आगे के वर्षो मे घोटाले को रोका जा सकता था।

अंकेक्षण का प्रतिवेदन तथा विनियोग लेखा पर कोई कार्रवाई नहीं

वर्ष	ऑडिट रिर्पोट वित्त विभाग में प्राप्त होने की तिथि	ऑडिट रिर्पोट विधान सभा में रखी गयी	अधिक व्यय जिसका जिक्र था (रूपये करोड़ में)	प्रतिशत
1988–89	16.11.93	29.12.93	6.13	17
1989–90	24.01.94	20.12.94	8.65	20
1990–91	07.11.94	23.06.95	29.29	53
1991–92	17.01.95	21.12.95	70.72	120
1992–93	22.05.95	21.12.95	87.77	131
1993–94	27.09.95	21.12.95	125.03	169
1994–95	15.05.96	23.07.96	170.61	229

दशम् वित्त आयोग को दिये गये प्रतिवेदन में अधिक व्यय का उल्लेख

दशम् वित्त आयोग हेतु वित्त विभाग ने मई'1994 में एक प्रतिवेदन तैयार किया जिसमें मुख्य शीर्ष 2403 , पशुपालन के अंर्तगत तीन वर्षो के वास्तविक व्यय 1990–91 (72.79 करोड़), 1991–92 (117.60 करोड़), 1992–93 (143.25 करोड़) का जिक्र था।

इससे स्पष्ट है कि मई'1994 में ही राज्य सरकार को पता था कि पशुपालन विभाग में बजट आवंटन से काफी ज्यादा निकासी हो रही है। परंतु इसे रोकने और इस अधिक व्यय की जाँच का कोई प्रयास नहीं किया गया।

बचत और अधिक व्यय एक साथ

	बजट प्रावधान	पशुपालन विभाग द्वारा सरेंडर की गयी राशि	अधिव्यय
1992–93	64.94	14.11	87.77
1993–94	73.92	20.74	125.03
1994–95	74.30	18.52	170.61

घोटाला उजागर नहीं हो सके , इसलिए उपरोक्त तीनों वर्षो में प्रत्येक वर्ष पशुपालन विभाग द्वारा सरेन्डर राशि दिखायी गयी जबकि वास्तविकता यह थी कि करोड़ो रूपए आवंटन से अधिक व्यय हो रहे थे।

लालू की संपत्ति

मुख्य मंत्री बनने के पहले लालू प्रसाद की संपत्ति

घोषित रूप से कोई संपत्ति नहीं, अपने चपरासी भाई के क्वार्टर में निवास।

मुख्यमंत्री बनने के बाद...

- **लालू प्रसाद अपनी गरीबी प्रचारित करने के लिए देश भर में खबरे छपवाते रहे कि वे चपरासी के भाई है और एक छोटे खपरैल के मकान में रहते हैं ।** किन्तु अब उन्होंने स्वीकार कर लिया है कि उनके पास मुख्य मंत्री बनने के पहले भी शेखपुरा (आदमी गाँव) पटना में एक दो मंजीला पक्का मकान था जो इनकी पत्नी राबड़ी देवी के नाम से है।

- मुख्यमंत्री बनने के बाद अपने पैत्रिक गाँव फुलवरिया में एक आलिशान माकान बनवाया तथा वेटनरी कॉलेज स्थित कौटिल्य नगर में विधायक सहकारी गष्ह निर्माण समिति में ***झुठा हलफनामा दायर कर एक जमीन खरीदा*** जिसपर आलिशान महल बनाया गया है। इस महल की कीमत आयकर विभाग को सात लाख बतायी गयी है, जबकी कीमत 25 लाख रूपये से ज्यादा है । अनुमान किया जाता है कि इनके तीनों माकान की कीमत 50 लाख रूपये से ज्यादा है।

- **उल्लेखनीय है कि सहकारी समिति से वही व्यक्ति भू–खण्ड प्राप्त करने का हकदार है, जिसका उस नगर में ,उसके या उसके परिवार के किसी सदस्य के नाम से कोई आवास या भू–खण्ड नहीं हो।** परन्तु, लालू प्रसाद ने आदमी गाँव, शेखपुरा में **राबड़ी देवी के नाम से माकान के बावजूद झुठा हलफनामा दायर किया कि उनके परिवार के किसी सदस्य के पास कोई माकान या जमीन पटना में नहीं है।**

- मुख्य मंत्री की पत्नी श्रीमती राबड़ी देवी के अनुसार वे 1986–87 से कृषि एवं दुग्ध उत्पादन

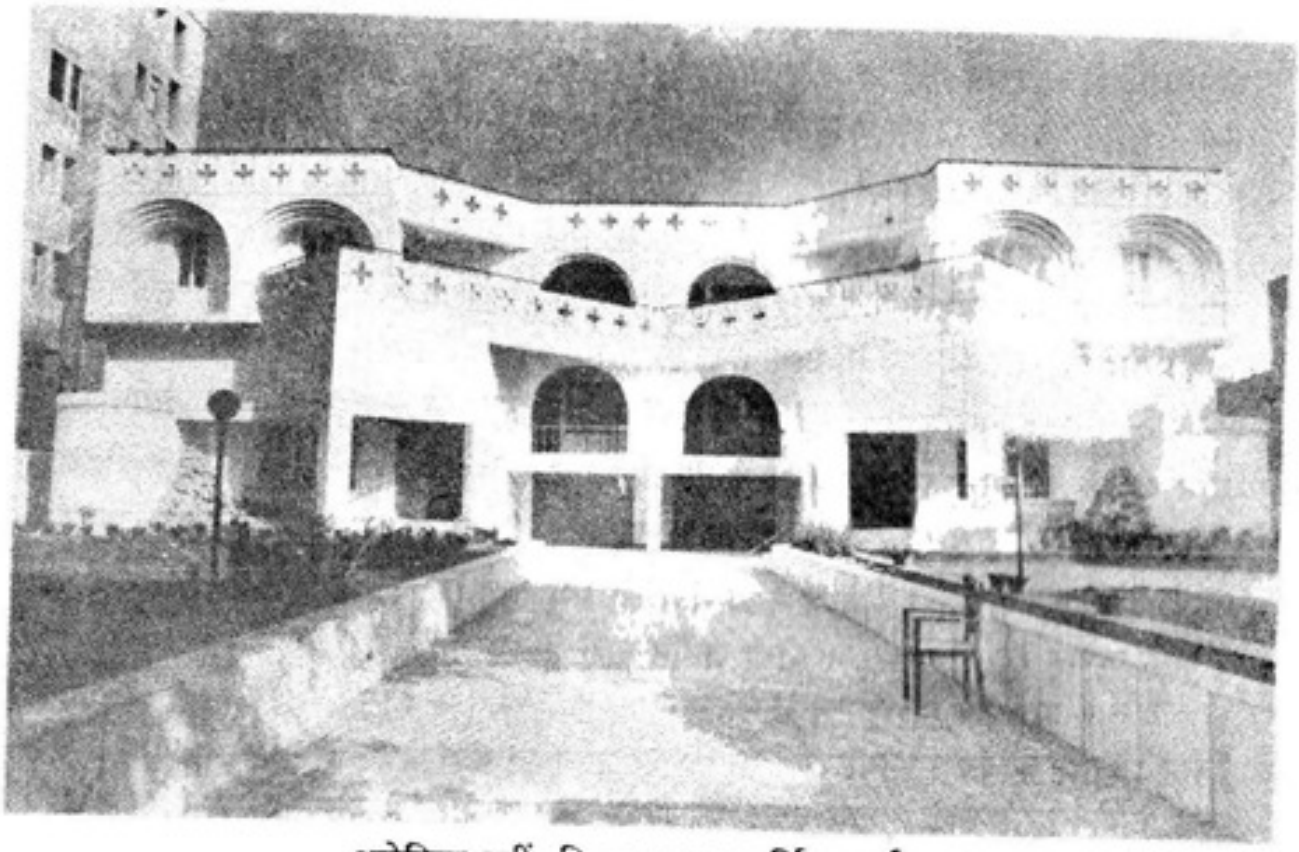

अमेरिका नहीं, बिहार का बहुचर्चित व्हाईट हाऊस
कहा जाता है– एक शीर्षस्थ राजनेता की बेटी के दहेज के लिए
पशुपालन माफिया द्वारा बनवाया गया है।

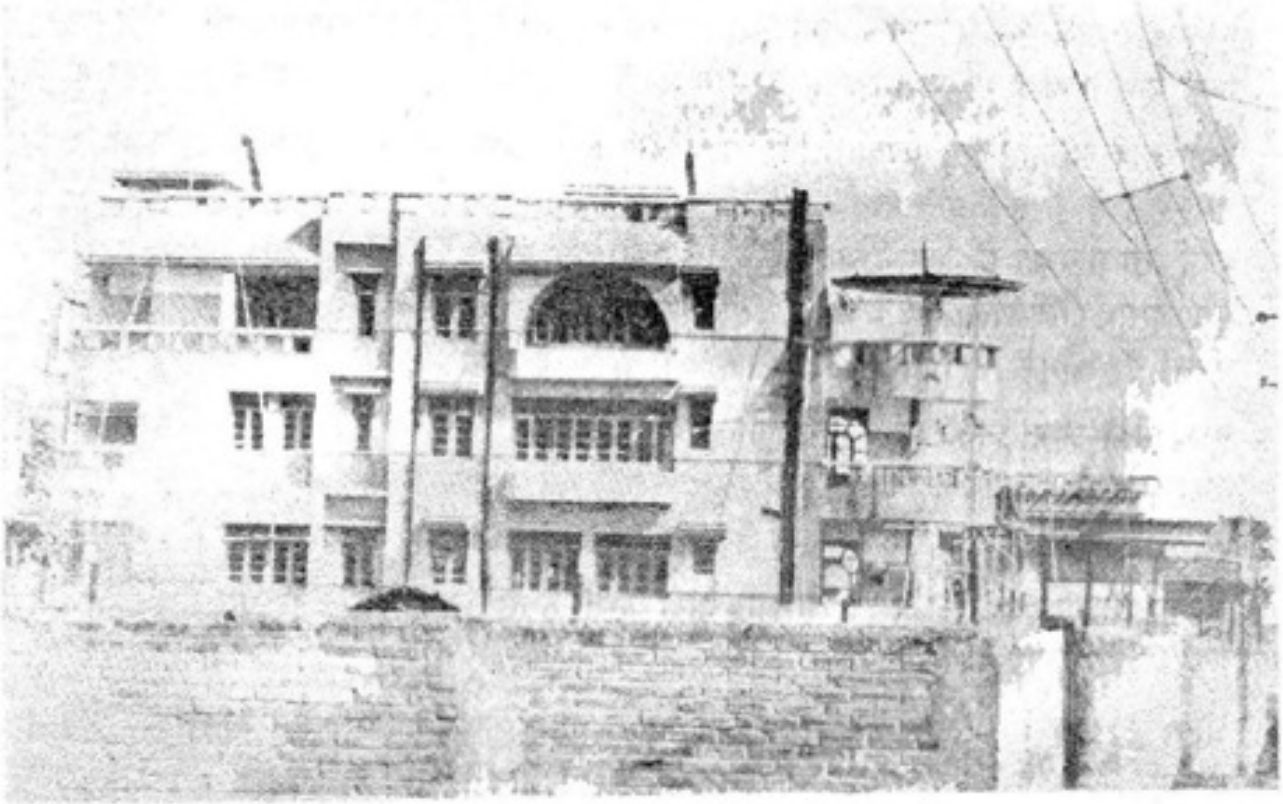

एक और महल– बता भी दो किसका है ?
साकेत नगर मित्रमंडली गृह निर्माण समिति अनीसाबाद।
(इस महल पर भी इनकम टैक्स की मुहर लग चुकी है।)

का धंधा कर रही है। लालू जी के मुख्य मंत्री बनने के बाद लगातार समाचार पत्रों में साक्षात्कार के माध्यम से छपवाया गया कि वे सीधी–साधी घरेलू महिला है एवं रसोई तथा अन्य कामों तथा बच्चों का पालन पोषण में व्यस्त रहती है। तब कहीं भी उनके कषषि एवं डेयरी उत्पादन के कार्यो का जिक्र नहीं था।

- अब कहा जा रहा है कि मुख्यमंत्री की आय से ज्यादा आय उनकी पत्नी की है। कौटिल्य नगर वाले महल को बनाने के लिए राबड़ी देवी ने **2.5** लाख रूपये लालू प्रसाद को कर्ज दिया । लालू प्रसाद के ससुर ने अपने नाती –नातिनों को समय –समय पर उपहार दिया जिससे लालू प्रसाद के आय में अप्रत्याशित वषद्धि हुई ? लालू प्रसाद के ससुर के पास 100 बिघा जमीन है।

- प्रश्न यह है कि ससुराल वाले पहले से ही अमीर थे या लालू प्रसाद के मुख्य मंत्री बनने के बाद धनी हुए ? ससुराल को **" सत्ता का उपहार "** मिला था या ससुराल से लालू को उपहार ?

- गोपालगंज जिले के सलार गाँव में मुख्य मंत्री का ससुराल है। शादी के समय ससुराल में मात्र 7 बिघा जमीन थी । आज 100 बिघा जमीन कहाँ से आ गयी ? 1990 में मुख्य मंत्री बनने के बाद लालू प्रसाद ने गोपालगंज जिले को अपने साले साधु यादव के हवाले कर दिया । पहले **जिला 20 सुत्री कार्यक्रम कार्यान्वयन समिति का उपाध्यक्ष बना दिया , बाद में एम0एल0सी0 बना दिया । दूसरे साल सुभाष यादव को बिहार विधान सभा में क्लर्क बना दिया । यानी 1990 के बाद ससुराल की अमीरी बढ़ी ।**

- मुख्य मंत्री और उनकी पत्नी ने आयकर विभाग को लाखों रूपये की अपनी आय कषषि और दुग्ध उत्पादन बताया है। परन्तु यह स्पष्ट नहीं किया है कि लाखों रूपये आय वाली भूमि और गाय –भैंस खरीदने में लगी पूँजी का जरिया क्या है ? इनकी उपजाऊ भूमि और डेयरी फार्म कहाँ–कहाँ हैं ? कितने लोग काम करते है ? कौन बेचता है और कौन खरीदता है ?

- क्या उनके पटना स्थित सरकारी निवास में लगी खेती और वहाँ सरकारी खर्च पर पलने वाले गाय–भैंस से ही इन्हें प्रति माह लाखों की आमदनी हो रही है ? क्या सरकारी बंगले में स्थित फार्म, तालाब को ही इन्होंने व्यपार का अड्डा बना दिया है जिसे हर सरकारी मेहमान को घुमा–घुमाकर दिखाते नहीं थकतें है, लालू प्रसाद ? क्या सरकारी जमीन पर धंधा करना गैर–कानुनी नहीं है ?

- मुख्यमंत्री और उनकी पत्नी ने आजतक कभी आयकर अदा नहीं किया था । चारा घोटाला उजागर होने के बाद आयकर ने जब मुख्य मंत्री को नोटीस दिया तब कही जाकर 1995–96 में 1.70 लाख रूपये केवल एक वर्ष के कर के रूप में अदा किया गया ।

- जो व्यक्ति एक वर्ष का कर 1.70 लाख रूपये अदा करता है तो उसकी आमदनी और उसकी संपत्ति कितनी होगी, यह कल्पना किया जा सकता है ?

- श्रीमती राबड़ी देवी ने इस बीच 142 कट्ठा जमीन भी खरीद लिया है जिसमें से 42 कट्ठा जमीन दानापुर के महंगे इलाके में और करीब 100 कट्ठा जमीन छपरा जिले में है। इस जमीन की कीमत करोड़ से कम नहीं है। दानापुर की 42 कट्ठा शहरी जमीन को कृषि योग्य भूमि दर्शया गया था जिसे आयकर विभाग ने मानने से इन्कार कर दिया ।

वित्त रहित या वित्त सहित ?

वेटनरी कॉलेज कैम्पस की कई एकड़ जमीन पर भी गिद्ध दृष्टि ?
कॉलेज का शिलान्यास हो चुका है।

नाम जिसका भी हो–माल अपना ही है।

बेली रोड नहर के दानापुर साइड में चारों ओर की सड़क श्री रंजन यादव सांसद के सौजन्य से निर्मित।

- 25 फरवरी '91 को दानापुर क्षेत्र के मौजा धनौत ,खाता न0–141, प्लॉट न0–1547 की 5 कट्ठा जमीन श्री लालू प्रसाद ने अपनी पत्नी राबड़ी देवी, 4कट्ठा जमीन अपने नाबालिग पुत्र तेज प्रताप और 2 कट्ठा जमीन अपने साले सुभाष यादव की पत्नी रेणु देवी के नाम रजिस्ट्री करवाया । **इस जमीन की कीमत 3 लाख दिखाया गया है जबकी वास्तव में जमीन 30 लाख से उपर की है।**

- **बिहार रजिस्ट्री एक्ट की धारा –28 के अंर्तगत अनिवार्य रूप से जमीन की रजिस्ट्री उसी जिले में होगी जहाँ जमीन अवस्थित है।** परन्तु स्नेह प्रिया सहकारी गष्ह निर्माण समिति से खरीदी गयी इस जमीन की रजिस्ट्री पटना के बजाए हाजीपुर में की गयी ।

- इतना ही नहीं **इस खरीद के असली खरीददार की पहचान छिपाने का भी षड्यंत्र हुआ।** साधारणतया महिला यदि खरीददार है तो पति का नाम बच्चे के मामले में पिता के नाम का उल्लेख रजिस्ट्री में रहता है। **परन्तु यहाँ श्रीमती राबड़ी देवी और श्रीमती रेणु देवी ने रजिस्ट्री दस्तावेज में अपने पति कमशः लालू प्रसाद और श्री सुभाष यादव के स्थान पर अपने पिता श्री शिव प्रसाद चौधरी और श्री प्रसादी चौधरी का नाम दर्ज कराया। इसी प्रकार तेज प्रताप के पिता श्री लाले प्रसाद की जगह उनकी माँ श्रीमती राबड़ी देवी का नाम दर्ज कराया गया और सभी का पता ग्राम –सोनार कला ,पो0–लाइन बजार ,थाना –उचका गाँव, जिला गोपालगंज लिखा गया ।**

- दानापुर थाना पटना के जलालपुर मौजा में खाता सं0–579, खसरा सं0–85, रकवा 9 डिसमिल पर **लालू प्रसाद की पत्नी श्रीमती राबड़ी देवी का अवैध दखल 1990 से खतियान में दर्शाया गया है । यह जमीन गैर–मजरूआ है।**

- पटना के थाना न0–22, प्लाट नं0–8 में लाखों रूपये मूल्य की 3 कट्ठा जमीन पटना के ही श्री विश्वनाथ बेलवरियार से मुख्य मंत्री बनने के पहले खरीदी गयी।

- गोपालगंज के लाई बाजार में मुख्य मंत्री के एक **साले सुभाष यादव** ने 3 कट्ठा जमीन मदन साह से करीब 1.5 लाख रूपये में खरीदा और साथ में लगे 7 कट्ठा के गैर–मजरूआ प्लॉट (खाता नं0–142, प्लॉट नं0–62) पर कब्जा कर आलिशान मार्केट काम्पलेक्स बना दिया गया है । इस गैर–मजरूआ जमीन का पर्चा भूमिहीनों को दिया जा चुका था जिन्हें बेदखल कर दिया गया ।

- **मुख्य मंत्री के एक अन्य साले साधु यादव** ने गोपालगंज शहर में प्रखण्ड कार्यालय के निकट रामजी पाण्डेय नामक व्यक्ति की कीमती जमीन खरीदा है। इनके पुत्र को हरखुया चीनी मिल में नौकरी भी दी गयी थी जिसे जमीन की रजिस्ट्री होते ही निकाल दिया गया।

- **पोटैटो(आलू) रिसर्च इंस्टीच्यूट, पटना के पास 2 बिघा 8 कट्ठा जमीन खरीदी गयी । इसके बगल में ही राबड़ी देवी कॉलेज का शिलान्यास हुआ है।**

- थाना नं0–22(पटना) के निवासी राजेंद्र सिंह ने प्लॉट नं0–41 और 42 1991 में ही **श्रीमती रेणु देवी को बेचा है जो कि मुख्य मंत्री के साले की पत्नी हैं।** यह जमीन बेली रोड, पटना के दक्षिण है।

- **मुख्य मंत्री के साले साधू यादव ने अपना और अपनी पत्नी के नाम पर बेली रोड के उत्तर में 11 कट्ठा जमीन खरीदा है** जो थाना नं0–22 में है जिसका प्लॉट नं0–61 है। यह जमीन एक पब्लिक स्कूल के निदेशक से जनवरी'95 में खरीदी गयी है।

- इसके अतिरिक्त मुख्य मंत्री के एक संबंधि के नाम स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के वेटनरी कॉलेज शाखा में बचत खाता और सावधि जमा खाता पकड़ा गया है **जिसमें 15 लाख से अधिक रूपया जमा है।**

- गोपालगंज जिल में जून'1992 और मार्च'1995 के बीच दो बीघा जमीन की खरीद की गयी जिसका सेल डीड नं0 –3923/92, 4942/93, 7207/93, 2520/94, 1854/94 और 1111/95 है।

- **श्री लालू प्रसाद के साले और साले की पत्नीयों के नाम पटना में अकूत संपत्ति का पता चला है।**

ये संपत्ति :–

रेणु देवी	पुत्री श्री यमुना चौधरी
रेणु देवी	पुत्री श्री शिवलाल चौधरी, सदर बाजार रोड, उचका गाँव
रणधीर कुमार	पुत्र श्री सुभाष यादव , आदमी गाँव, शास्त्रीनगर
सुभाष प्रसाद	पुत्र श्री शिव प्रसाद यादव
रेणु देवी	पत्नी श्री सुभाष प्रसाद

सुभाष प्रसाद, इन्द्र यादव, प्रभु यादव के अलग –अलग नाम से राजधानी पटना के इर्द–गिर्द है। इसके अलावा चार माकान बेली रोड, मछुआबाग और शक्ति नगर में स्थित है।

- **इसके अलावा 82 कट्ठा जमीन बेली रोड के** थाना नं0–22, 23, प्लॉट नं0–11, 25, 8 और 61 खरीदा गया है। **5 कट्ठा जमीन मछुआबाग** में जहाँ एक दो मंजीला मकान बना है।

- **बेली रोड के उत्तर में मुख्य मंत्री के साले सुभाष यादव , रेणु और शिव प्रसाद चौधरी ने मिलकर तीन किश्तों में साढ़े 25 कट्ठा जमीन खरीदी** । यह खरीद 1994 और 1995 के बीच हुई जिसका थाना नं0–22 तथा प्लॉट नं0– 11 है। यह जमीन कैलाश अग्रवाल, पी.सी.अग्रवाल,एन0के0अग्रवाल, राजेंद्र मितल और हीरामणी शर्मा से खरीदी गयी।

- **साढ़े 25 कट्ठा में से करीब 17 कट्ठा जमीन पर बहुमंजिली इमारत का निर्माण हो रहा था। तीन मंजील माकान बन चुका है। पर चारा घोटाले की जाँच शुरू होने के बाद यह निमार्ण कार्य आचानक रूक गया है।**

- **बेली रोड के उत्तर में एक जमीन के बारे में भी सी.बी.आई ने पता किया है। इस जमीन के पास रंजन प्रसाद यादव के सांसद कोटे से सड़क बनाई गयी है।**

- एक दूसरी जमीन पशु चिकित्सा महाविद्यालय के पीछे है। इस पर दो मंजीला मकान है । वह जमीन पहले किसी विधवा की थी । जमीन का रकबा करीब दस–पंद्रह कट्ठा है।

- इस जायदाद की **रजिस्ट्री सिर्फ 25–26 हजार प्रति कट्ठा कीमत दिखाकर कराई गई है। जबकि इनकी वास्तविक कीमत लाखों रूपये कट्ठा है।**

- **सी0बी0आई और आयकर विभाग ने मुख्य मंत्री लालू प्रसाद यादव और उनके रिश्तेदारों के नाम से पटना में अब तक करीब 2 एकड़ जमीन तथा दर्जनों माकानों का पता लगाया है जिसकी कीमत 5 करोड़ से अधिक है। दूसरे गाँवों और शहरों की संपत्ति इसके अलावा है।**

- **11 मार्च'1995 को नेता, विरोधी दल के पद पर चुने जाने के बाद श्री सुशील कुमार मोदी ने एक माह के भीतर अपनी संपत्ति की घोषणा का एलान करते हुए लालू प्रसाद को चुनौती दी थी कि अगर हिम्मत है तो वे भी 21 मार्च, 1990 करे राज्यपाल के अभिभाषण के दौरान की गयी घोषणा के अनुरूप अपनी संपत्ति की सार्वजनिक घोषणा करें। श्री मोदी ने वायदे के अनुसार संपत्ति की घोषणा कर दी परन्तु मुख्य मंत्री चुप रहे। 27 सितम्बर'96 को मुख्य मंत्री की संपत्ति की सार्वजनिक घोषणा की मांग को लेकर श्री मोदी 24 घंटे के उपवास पर जे0पी0मुर्ति के पास बैठे। लालू प्रसाद ने उपवास का मजाक उड़ाते हुए कहा कि "श्री मोदी मुझसे अपनी संपत्ति की अदला –बदली कर ले " और जब श्री मोदी संपत्ति की अदला–बदली के लिए तैयार हुए तो लालू प्रसाद को अपने पाँव के नीचे की जमीन खिसकती नजर आयी।**

- 22 जुलाई '96 को बिहार विधान सभा में श्री लालू प्रसाद ने घोषणा की थी " सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश की अध्यक्षता में आजादी के बाद राजनीतिज्ञयों, प्रशासकों की अर्जित संपत्ति की जाँच 15 दिनों के अंदर आयोग का गठन किया जाएगा" छः माह से अधिक हो गए, अभी तक आयोग का गठन नहीं किया गया।

- **भाजपा का आरोप है कि 1990 और 1995 के लालू प्रसाद के मंत्रीमंडल के मंत्रीयों तथा बोर्ड, कॉरपोरेशन के अध्यक्षों ने 6 वर्षो में 500 करोड़ से अधिक की संपत्ति अवैध तरीके से अर्जित की है।**

हें.. हें.. हें..

प्रश्न : बिहार के वर्तमान मुख्य मंत्री के नाम बताओं ?

उत्तर : लालू प्रसाद यादव, लालू प्रसाद, लालू यादव

परेशान सी0बी0आई–चार्ज शीट किस पर करें ?

प्रश्न : मुख्य मंत्री के तीन प्रशंसनीय कार्यो को बताओं ?

उत्तर– टाला – विकास को

साला– घोषित –अघोषित को पाला

घोटाला– हर विभाग में, हर कदम पर ,हर दिन।

लालू के गले में सी0बी0आई का फंदा
बिहार की जनता है शर्मिंदा।

"हम जेल में भी मुख्य मंत्री रहेंगे —लालू

अलकतरा घोटला : 200 करोड़ रूपये

राज्य में नयी सड़कों के निर्माण और मौजूदा सड़को के चौड़ीकरण तथा सड़क मरम्मत का परिमाप 1990–91 से 1995–96 के बीच घटता गया,इसके बावजूद अलकतरा खरीद की मात्रा बढ़ती गयी । 1990–91 में राज्य में 84 कि0मी0 नयी सड़क , 138 कि0मी0 चौड़ीकरण तथा 2000 कि0मी0 सड़क मरम्मत हुई थी, वही 1994–95 में घटकर मात्र 6 कि0मी0 नयी सड़क ,शून्य कि0मी0 चौड़ीकरण और केवल 1300 कि0मी0 सड़क की मरम्मत हुई । परन्तु 1990–91 में 44,650 मिट्रीक टन अलकतरे की खरीद हुई और 1994–95 में यह मात्रा बढ़कर 94,000 मिट्रीक टन हो गयी।

ये आंकड़े घोटाले के अकाट्य प्रमाण है । अर्थात इस बीच नयी सड़को का निमार्ण मौजूदा सड़कों के चौड़ीकरण तथा सड़क मरम्मत के **लक्ष्य की उपलब्धि 92 प्रतिशत से घटकर 6 प्रतिशत हो गयी , परन्तु अलकतरा खरीद की मात्रा 14 प्रतिशत से बढ़ कर 93.7 प्रतिशत हो गयी।**

लालु प्रसाद के 6 वर्ष के शासनकाल में सड़क निर्माण/मरम्मति लक्ष्य, उपलब्धि और अलकतरे की खरीद

	लक्ष्य					उपलब्धि					
वर्ष	नयी सड़क	चौड़ीकरण	मरम्मत	कुल		वर्ष	नयी सड़क	चौड़ीकरण	मरम्मत	कुल	अलकतरा
	(कि0मी0 में)						(कि0मी0 में)				(मिट्रीक टन)
1990–91	200	150	3,500	3,850		1990–91	84	138	2,000	2,222	44,650
1991–92	200	150	3,000	3,350		1991–92	20	26	2,000	2,046	33,550
1992–93	150	180	3,000	3,330		1992–93	12	19	500	531	51,190
1993–94	100	120	1,000	1,220		1993–94	32	33	500	565	9,400
1994–95	100	100	1,000	1,200		1994–95	6	–	1300	1,306	92,650
1995–96	10	100	2,000	2,110		1995–96	अप्राप्त	अप्राप्त	–	–	70,770

इसी तरह नयी सड़क बनाने के निर्माण पर होने वाले खर्च भी आँख खोलने वाले है। **84 कि0मी0 नई सड़क बनाने पर 1990–91 में जहाँ 16 करोड़ रूपये खर्च हुए वहीं 1995–96 में 10 कि0मी0 नई सड़क पर 19.98 करोड़ खर्च दिखया गया ।**

- श्री इलियास हुसैन द्वारा विधान सभा में दिए गए वक्तव्य के अनुसार 1991–92 से 94–95 के बीच चार वर्षो मे कुल 2 लाख 21 हजार मिट्रीक टन अलकतरा बिहार को प्राप्त हुआ जबकि पेट्रोलियम और प्राकषतिक गैस मंत्रालय के निदेशक (डी) श्री सुनील, उन के पत्रांक पी–21019/96–डिस्ट दिनांक –16 अगस्त'96 के अनुसार इसी अवधी के दौरान 3 लाख 14 हजार मिट्रीक टन अलकतरा बिहार को आपूर्ति किया गया ।

- इस प्रकार **बिहार सरकार और पेट्रोलियम मंत्रालय के आंकड़ों में 93 हजार मिट्रीक टन का अंतर है जिसकी कीमत 49 करोड़ रूपए है।**

- **अलकतरा ढुलाई के लिए ट्रांसर्पोटरों की बहाली घोटाले का सबसे बड़ा माध्यम था।** पहले अलकतरा आपूर्ति करनेवाली तेल कम्पनियाँ अपने पैनल के ट्रांसपोर्टर द्वारा अलकतरा की ढुलाई कराती थी। परन्तु 1990 से ट्रान्सपोर्टरों की बहाली स्वयं राज्य सरकार करने लगी। श्री इलियास हुसैन ने बिना विज्ञापन तथा टेंडर के मनमाने तरीके से चार वर्षो में 8 पैनल बनाए। कभी किसी ट्रांसपोर्टर को ब्लैक लिस्ट कर दिया और कुछ ही दिन बाद पैसे लेकर उसे पुनः बहाल कर दिया ।

- 1991–92 में 15 नामों का एक पैनल 21 फरवरी' 92 को बना जिसे पाँच माह बाद 8 जुलाई '92 को बदल दिया गया । पुनः इस पैनल को 19 दिन बाद 16 जुलाई '92 ,14 जुलाई '93 और 10 नबम्बर'93 को बदल दिया गया । इसके बाद फिर 16 जुलाई '94 को 14 ट्रांपोर्टरों का अलग पैनल बनाया गया । पैनलों में धड़ल्ले से ऐसे ट्रांसपोर्टरों को रखा गया जिनपर आपूर्ति में घपला के आरोप में मुकदमा चल रहा था। 16 जुलाई '94 का पैनल 3 वर्षो के लिए था , परन्तु बिना कारण बताए 31 जुलाई '95 को उसमें से तीन ट्रांसपोर्टरों का नाम हटा दिया गया । पुनः 5 माह बाद 27 जनवरी'96 को एक नया पैनल बनाकर उन तीनों का नाम जोड़ दिया गया । सरकार को अच्छी तरह पता था कि इन ट्रांसपोर्टरों में 15 करोड़ मूल्य के 23 हजार टन अलकतरा की कम आपूर्ति की है। परन्तु इन्हें पैनल में रखकर पुरस्कष्त किया गया।

- **ट्रांसपोर्टरों को आपूर्ति आदेश देने में भारी घपलेबाजी हुई है। कायदे से टेंडर में यह शर्त रहनी चाहिए कि कुल आपूर्ति का 10 प्रतिशत पहुँचाने के बाद शेष बची मात्रा का 10 प्रतिशत पहुँचाएगा। परन्तु ट्रांसपोर्टर और कार्यपालक अभियंताओं की मिलीभगत से यह शर्त अनुबंध से गायब कर दी गयी । नतीजा यह हुआ कि ट्रांसपोर्टरों ने पुरा माल एक ही बार में उठा लिया, परन्तु उसे संबंधित प्रमंडलों को नहीं पहुँचाया।**

- 1990 के पहले कार्यपालक अभियन्ता अपने प्रमण्डल में अलकतरें की आवश्यकता का आकलन कर मुख्यालय को सूचित करते थे। अधीक्षण अभियंता और मुख्य अभियंता द्वारा समीक्षा के

उपरांत पथ निर्माण विभाग की क्रय समिति अलकतरा खरीद का निर्णय कर आपूर्ति आदेश तेल कम्पनियों को दिया करती थी। **परन्तु 1990 के बाद प्रमण्डल की आवश्यकता का विचार किए बिना सीधे अभियन्ता प्रमुख और मंत्री के स्तर पर से जिस प्रमण्डल ने अलकतरा की न तो मांग की थी और न ही जिसे जरूरत थी उन प्रमण्डलों के लिए भी अलकतरा खरीद आपूर्ति आदेश दे दिये गए।**

- गंगापुल परियोजना, नवगछिया के नाम से 500 मिट्रीक टन अलकतरे की आपूर्ति का आदेश मुख्यालय से दे दिया गया और अलकतरा तेल कम्पनी से उठाकर बेच दिया गया। कार्यपालक अभियंता ने महालेखाकार को 07.03.96 को सूचित किया कि इस प्रमंडल ने अलकतरा हेतु न तो कभी इण्डेंट किया, न ही इस प्रमंडल को अलकतरे की आवश्यकता है और न ही उसके नाम से उठाये गये अलकतरे की आपूर्ति की गई। ल

- सरकार गोलमाल के लिए दोषी ट्रान्सपोर्टरों का बचाव भी करती रही है। पवन कैरियर के मालिक के विरूद्ध दुमका पथ प्रमंडल के कार्यपालक अभियंता श्री परीक्षण सिंह द्वारा दुमका थाना कांड सं0–110/94 में 170 मिट्रीक टन अलकतरा नहीं पहुँचाने का आरोप है। जब इस कैरियर के मालिक अग्रिम जमानत के लिए न्यायालय में गए तो सरकारी वकील ने उसकी सहायता में तर्क दिया कि राज्य सरकार उनके विरूद्ध मुकदमा वापस लेने का आदेश दिया है, लेकिन ऐसा लगता है कि संबंधित अभियंता राज्य सरकार के आदेश की अवहेलना कर रहे हैं। 16 फरवरी, 95 को बिहार सरकार के वकील द्वारा दुमका सेशन जज के समक्ष की गयी स्वीकारोक्ति के कारण अभियुक्त ट्रान्सपोर्टर को जमानत मिल गयी।

- उसी प्रकार मकदुमपुर थाना कांड सं0–77/92 दिनांक 16.07.92, जिसमें कनीय अभियंता राधे श्याम शर्मा ने विक्रय कैरियर पर प्राथमिकी दर्ज की है–**में कहा गया है कि एक टैंक लॉरी में अलकतरा की जगह पानी भरा हुआ पाया गया।** परन्तु विक्रम कैरियर को कभी काली सूची में नहीं रखा गया।

- जिन ट्रान्सपोर्टरों पर 1991 से 1995 के बीच करोड़ों रूपये के अलकतरे नहीं पहुँचाने के आरोप में विभिन्न प्रमंडलों ने 26 थानों में 60 से अधिक प्राथमिकी दर्ज की थी उन सभी ट्रान्सपोर्टरों कर कार्रवाई करने बजाए उन्हें पुरस्कष्त किया जाता रहा।

	ट्रान्सपोर्ट	**अलकतरा जिसकी आपूर्ति नहीं करने का आरोप है**
1.	कास्मो ट्रान्सपोर्ट	9,848.06 मिट्रीक टन
2.	डी0 एन0 सिंह	4,997.610 मिट्रीक टन
3.	विनय कुमार सिन्हा	2,011.34 मिट्रीक टन
4.	ओरियन्टल ट्रान्सपोर्ट	1,923.77 मिट्रीक टन
5.	जनार्दन प्रसाद अग्रवाल	957.72 मिट्रीक टन

6.	पवन कैरियर	245.99 मिट्रीक टन
7.	यमुना प्रसाद	48.28 मिट्रीक टन
8.	तिरूपति ट्रान्सपोर्ट	491.65 मिट्रीक टन
9.	भारत ट्रेडिंग कं0	21.13 मिट्रीक टन

इन ट्रान्सपोर्टरों पर 20,545 मिट्रीक टन अलकतरा जिसकी कीमत 11 करोड़ से ज्यादा है का गोलमाल करने का आरोप है।

- लोक निर्माण लेखा संहिता एवं वित्तीय नियमावली में वर्ष में एक बार भंडार के सत्यापन तथा लेखा–जोखा का मिलान आवश्यक है। परन्तु बिहार विधान सभा की प्राक्कलन समिति के 133 वें प्रतिवेदन के अनुसार 1981–82 से ही लोक निर्माण विभाग के भंडार का वार्षिक सत्यापन बंद है। परिणामतः किस पथ प्रमंडल के पास अलकतरा कितना पहुँचा, कितना खर्च हुआ इसका कोई लेखा–जोखा नहीं है।

- तेल कम्पनियों को महालेखाकार, बिहार के माध्यम से भुगतान मिलता रहा है, इस कारण तेल कम्पनियाँ घोटाले पर से आँखें मूँदें रही। महालेखाकार के पास केन्द्र सरकार से राज्य के लिए विभिन्न मदों में प्राप्त राशि में से तेल कम्पनियों को भुगतान कर पथ निर्माण विभाग को वित्त विभाग के माध्यम से सूचित करता रहा। परन्तु पथ निर्माण विभाग ने इसकी अनदेखी की।

- अक्टूबर '1983 में वित्त विभाग द्वारा सभी इंजीनियरिंग विभागों के लिए खरीद की ''लेटर ऑफ क्रेडिट पद्धति'' लागू की गयी थी जिसके अनुसार कार्य प्रमंडलों द्वारा कोषागारों को जारी किये गये लेटर ऑफ क्रेडिट के आधार पर आपूर्तिकर्ताओं को चेक या ड्राफ्ट द्वारा भुगतान किया जाता था। परन्तु श्री लालू प्रसाद की सरकार ने 1990–91 में इस पद्धति को बदल दिया और डी0जी0एस0 एण्ड डी0 से मेमो एडजस्टमेंट के आधार पर खरीद शुरू कर दी गयी।

- प्रतिवेदन के अनुसार डी0जी0एस0 एण्ड डी0 से हुई अलकतरा खरीद का भुगतान के लिए पथ निर्माण विभाग के अभियंता प्रमुख ने अलग से बजट में कोई प्रावधान नहीं रखा और समूचा आवंटन कार्य प्रमंडलों को इस निर्देश के बिना भेज दिया कि इसमें से अलकतरा आपूर्ति का भुगतान भी होना है और बजट की समुची राशि अन्य कार्यों में खर्च कर दी गयी। 1990–91 से 1995–96 तक कुल 311.76 करोड़ रूपये का पूरा बजट आवंटन कार्य प्रमंडलों को दे दिया गया जिसमें 180.93 करोड़ रूपये के अलकतरा खरीद के भुगतान अलग से सरकारी खजाना से काट लिया गया।

- प्रतिवेदन में कहा गया है कि डी0जी0एस0 एण्ड डी0 से खरीद तो जारी रखी गयी परन्तु भुगतान बंद कर दिया गया। इस तरह पथ निर्माण विभाग द्वारा बजट आवंटन से अधिक की निकासी की गयी। प्रतिवेदन के अनुसार पथ निर्माण विभाग में इस कदर अनियमितता बरती गयी है कि विभिन्न प्रमंडलों में कितना अलकतरा आया इसका भी हिसाब नहीं है।

- इस घोटाले का अंतराज्यीय एवं अंतर्राष्ट्रीय आयाम भी है। **बिहार की सड़कों के लिए बिहार**

के पैसे से उठाये गये अलकतरा को घोटालेबाजों ने पड़ोसी राज्यों के कालाबाजार में तो बेचा ही है, इसकी काफी मात्रा की तस्करी पड़ोसी देश नेपाल में हुई है। उल्लेखनीय है कि नेपाल में अंतर्राष्ट्रीय सहयोग से काफी सड़कों का निर्माण हो रहा है और वहाँ के बाजार में अलकतरा की कीमत बिहार से दोगुना से भी अधिक है।

- बिहार विधान सभा में अलकतरा घोटाले पर बहस के दौरान **सरकार ने 11 करोड़ रूपये मूल्य के 20 हजार मिट्रीक टन घोटाले की बात को स्वीकार किया, परन्तु सी0 बी0 आई0 जांच की मांग को अस्वीकार कर दिया। आनन–फानन में विधान मंडल की संयुक्त जांच समिति का गठन कर दिया गया जिसका संयोजक पशुपालन घोटाले के एक मुख्य अभियुक्त श्री राजो सिंह को बना दिया गया।**

- सी0 बी0 आई0 जांच की मांग तथा राजो सिंह को संयोजक बनाए जाने के विरोध में भाजपा के सदस्य ने इस समिति से इस्तीफा दे दिया। सी0पी0आई0 तथा सी0पी0एम0 के सदस्य भी अलग–अलग कारणों से समिति से अलग हो गए। कांग्रेस पार्टी के निदेश के बावजूद श्री राजो सिंह ने इस्तीफा नहीं दिया और समिति को लेकर राज्य भर में घूमते रहे। अन्ततः जन दबाव के आगे श्री राजो सिंह को समिति के संयोजक पद से इस्तीफा देना पड़ा।

- **भाजपा ने इस घोटाले की सी0 बी0 आई0 से जांच की मांग को लेकर पटना उच्च न्यायालय में एक लोकहित याचिका दाखिल की है।**

हें.. हें.. हें..
चारा चोर, खजाना चोर
भ्रष्ट लालू गद्दी छोड़

बिहार के पशुधन करें पुकार
चारा खा गयी लालू सरकार

लालू के गालों पर जो लाली
पशुपालन घोटाले की दलाली है

श्री इलियास हुसैन की सम्पत्ति

- **200 करोड़ रूपये** के अलकतरा घोटाला के नायक और जनता दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष एवं मुख्यमंत्री श्री लालू प्रसाद के आर्थिक प्रबंधक मंडली के प्रमुख सदस्य के रूप में चर्चित बिहार के पथ निर्माण **मंत्री श्री इलियास हुसैन ने 1993 से 1996** के बीच रोहतास जिले के आपने गाँव मुंजी के इर्द–गिर्द न सिर्फ 14 एकड़ जमीन की खरीद की है अपितु 40 लाख रूपये की लागत से अपने गाँव की अपनी जमीन पर एक आलीशान महल और सरकारी जमीन का अतिक्रमण कर उस पर 30 लाख रूपये की लागत से एक गेस्ट हाउस का निर्माण भी किया है।
- **श्री इलियास हुसैन और उनके चाचा श्री मुराद हुसैन के पास** संयुक्त रूप से करीब **11 बीघा जमीन इसके गाँव मुंजी में थी। 1969** में लोकदल के टिकट पर विधानसभा का चुनाव लड़ने में इनकी एक बीघा दो कट्ठा जमीन बिक गयी। इस प्रकार **1990** तक इनके और इनके चाचा को मिलाकर लगभग पौने दस बीघा जमीन थी परन्तु आज उसमें **13 एकड़ 48.5 डिमिल का इजाफा हो गया।**

श्री इलियास हुसैन द्वारा खरीदी गयी जमीन का ब्योरा

वर्ष	बेचने वाले	लेने वाले	खाता /प्लॉट	रकबा
1993	राम बसन सिंह (मुंजी)	मो0 फिरोज हसन पिता इलियास हुसैन	119/1806	62 डी0
1993	धर्मराज सिंह पिता रामवक्ष सिंह ग्राम–मोहनपुर(कौल छपरा मठ)	” ”	93/902 904 भरत कस्बा	10 डी0 61 डी0
1993	” ”	मो0 हुसैन पिता मुराद हुसैन	93/900 104/889 108/898	10डी0 37 डी0 38 डी0
1993	सुरेश सिंह स्व0 जिउत सिंह मुसमात आशा कुंवर पति स्व0 चनर सिंह (मुंजी)	मो0 फिरोज हैसन पिता इलियास हुसन वो महमूद हुसैन वगैरह	79/392	24 डी 86–1/2 डी0
1993	राम बसन सिंह (मुंजी)	सलमा खातुन पति इलियास हुसैन	294/1758	75 डी0
1993			119/1864	50 डी0
1994	सूर्यी देवी पिता रामधारी सिंह (मुंजी)	मो0 फिरोज हसैनन पिता इलियास हुसैन, महमूद हुसैन वगैरह पिता मुराद हुसैन	1656 1679	1 एकड़ 16 डी0
1994		(संयुक्त)	319 295 361	7 डी0 37 डी0 14 डी0 **639.5**
1994	हृदया नन्द राय (अधौरा)	” (संयुक्त)	भरत कस्बा	72 डी0

1994	शिवानन्द गिरि (कौल छपरा) मठ महंथ	” (संयुक्त)	भरत कस्बा–937 934 933	1 एकड़ 86 डी0
1994	मो0 इसफाक मियां (भरत कस्बा)	” (संयुक्त)	936	58 डी0
1994	सुर्यी देवी (मुंजी)	” (संयुक्त)	भरत कस्बा–1473 1474	93 डी0
1995	श्री सिंह (भरत कस्बा)	” (संयुक्त)		62 डी0
1995	विक्रमा सिंह (भरत कस्बा) पिता स्व0 नथुनी सिंह (सुगीवाल)	” (संयुक्त)		43 डी0
1995	गौरी शंकर सिंह (भरत कस्बा)	” (संयुक्त)		78 डी0
1995	सतार मिंया, इसहाक मियां वगैरह पिता औलादी मियां (भरत कस्बा)	” (संयुक्त)	मुंजी	37 डी0
1996	जगदीश सिंह	” (संयुक्त)		936 में से 58 डी0
1996	बुधन सिंह (वगैरह)	” (संयुक्त)		22 डी0
				कुल 1348.5 डी0
				अर्थात 13 एकड़ 48.5 डी0

राज्य की सड़के जिस अनुपात में दुर्गति के कगार पर बढ़ रही है, राज्य के सड़क निर्माण मंत्री का आर्थिक साम्राज्य उसी व्यक्तिक्रम से उभार पर है।

दवा घोटाला : 300 करोड़ रूपया

- **स्वास्थ विभाग में दवा का अवैध क्रय , कागजी एवं एक्सपायरी दवा, आपूर्ति, अवैध निकासी, नॉन–स्टैंडर्ड दवा कम्पनियों से दवा खरीद में कुल मिलाकर 300 करोड़ से अधिक का घोटाला हुआ है।**

- वर्ष 1982 से पूर्व दवा मद में स्वास्थ्य विभाग द्वारा विभिन्न अस्पतालों को आवंटन जाता था और क्रय नीति के अनुरूप सम्बन्धित चिकित्सा पदाधिकारी दवा क्रय करते थे।

- इसके अतिरिक्त सिविल सर्जन तथा जिला स्तर के पदाधिकारी केन्द्र सरकार के उपक्रम मेडिकल डिपो (एम0एस0डी0) कलकत्ता से दवा आपूर्ति के लिए व्यादेश भेजते थे जिसपर उपनिदेशक का प्रतिहस्ताक्षर रहता था तथा उसका नियंत्रण निदेशक प्रमुख के तहत निदेशालय (मुख्यालय पटना) को यह ज्ञात रहता था कि किस जिले में कितने मूल्य की दवा का आदेश एम0एस0डी कलकत्ता को दिया है।

- एक षडयंत्र के तहत 1982 के जनवरी माह में स्वास्थ्य विभाग से एक आदेश पत्र संख्या 176 दिनांक 27. 01.82 निर्गत किया गया जिसमें दवा खरीद में उपनिदेशक से प्रतिहस्ताक्षर तथा मुख्यालय द्वारा खरीद पर नियंत्रण के संबंध में कोई उल्लेख नहीं था।

- विधान सभा की जाँच समिति को स्वास्थ्य विभाग ने बताया कि 1992 से सचिवालय में आग लगने से उपरोक्त आदेश की संचिका जल गयी जिससे यह बताना कठिन है कि किस परिस्थिति में उपरोक्त आदेश निकाला गया था।

- उपरोक्त आदेश का लाभ उठाकर विभिन्न जिलों के चिकित्सा पदाधिकारी जो दवा खरीद के लिए सक्षम भी नहीं थे, ने बिना उपनिदेशक से प्रतिहस्ताक्षर कराये तथा मुख्यालय को बिना सूचित किये सीधे एम0एस0डी0 कलकत्ता को फर्जी दवा खरीद का आदेश देकर फर्जी आपूर्ति एवं वितरण दिखाते रहे।

- केवल दुमका जिला के विभिन्न अस्पतालों ने मुख्यालय से दवा मद में प्राप्त आवंदन को अनियमित ढ़ग से खर्च करने के बाद एम0एस0डी0 कलकता से भी 5 करोड़ 28 लाख की अतिरिक्त दवा आपूर्ति प्राप्त कर ली। 1986–87 में 26 लाख तथा 1987–88, 19988–89 में 73 लाख की फर्जी दवा आपूर्ति दिखायी गयी।

- श्री लालू प्रसाद के मुख्य मंत्री बनने के बाद 1990 से 95 मार्च के दौरान केवल दुमका जिले से **3 करोड़ 20** लाख की फर्जी दवा खरीदी गयी।
- दुमका उपसमाहर्ता श्री बष्ज किशोर पाठक ने 14 अप्रैल, 93 तथा भारतीय प्रशासनिक सेवा के अधिकारी श्री चंचल कुमार ने 5 अक्टूबर'93 को दवा घोटाले की जाँच कर इसका पर्दाफाश किया । स्वास्थ्य विभाग के पत्राांक –109 दिनांक 22.4.92 तथा बेतार संदेश संख्या –127, दिनांक 30.7.94 द्वारा एम0एस0डी0 से दवा खरीद पर रोक लगाए जाने के बाबजूद **48 करोड़** की दवा खरीद कर ली गयी ।
- दुमका के तत्कालीन उपायुक्त श्री अंजनी कुमार सिंह ने सचिव एवं आयुक्त स्वास्थ्य विभाग , बिहार सरकार को 18 नबम्बर, 1993 को पत्र लिखकर इस घोटाले में शामिल सभी चिकित्सा पदाधिकारियों एवं सहायकों के विरूद्ध प्राथमिकी दर्ज करने की अनुमति माँगी, पत्र के साथ प्राथमिकी का प्रारूप भी था।
- परन्तु पत्र लिखने के **2 वर्ष तक प्राथमिकी दर्ज करने की अनुमति बिहार सरकार से नहीं मिली।** दवा घोटाला जाँच के लिए बिहार विधान सभा की समिति गठित किए जाने के बाद 17.8.95 को एफ0आई0आर दर्ज करने की अनुमति दी गयी।
- डॉ0 रोनाल्ड सुनील सिंह दवा घोटाले के श्याम बिहारी सिन्हा हैं। स्वाभाविक है कि श्याम बिहारी के समान ये भी लालू प्रसाद के नाक के बाल है। इनका भला कौन क्या बिगाड़ सकता है ?
- डॉ0 रोनाल्ड सुनील सिंह 19.12.90 से 16.10.94 तक दुमका के सिविल सर्जन रहे । इन्हीं के कार्यकाल में सबसे अधिक घोटाला हुआ । जद के विक्रम कुंवर के एक प्रश्न पर 30 जून,95 को विधान सभा में काफी हंगामा हुआ तो श्री लालू प्रसाद ने डॉ0 सिंह को निलम्बित करने की घोषणा की । परन्तु विधान सभा की दवा घोटाला जाँच समिति द्वारा प्रतिवेदन दिये जाने की तिथि (27 जुलाई '96) तक उन्हें निलम्बित नहीं गया था।
- मेडिकल स्टोर डिपो, कलकत्ता द्वारा केवल दुमका जिले को ही नहीं बल्कि राज्य के विभिन्न जिलों को **103 करोड़ रूपए से अधिक की फर्जी दवा आपूर्ति की गयी।**

मुख्य मंत्री	**वर्ष**	**राशि**
	1986–87	4 करोड़ 68 लाख
कांग्रेस शासन	1987–88	1 करोड़ 60 लाख
	1988–89	4 करोड़ 44 लाख
	1989–90	5 करोड़ 78 लाख
		कुल – 16 करोड़ 50 लाख
लालू शासन	1990–91	10 करोड़ 67 लाख
	1991–92	18 करोड़ 83 लाख
	1992–93	4 करोड़ 40 लाख
	1993–94	24 करोड़ 94 लाख
	1994–95	26 करोड़ 6 लाख
	1995–96	2 करोड़ 3 लाख
		कुल – 86 करोड़ 58 लाख

- बजट आवंटन सें 103 करोड़ की अधिक की दवा एम0एस0डी0 कलकत्ता से खरीद ली गयी, तो आखिर उसका भुगतान किसने किया ? बिहार कोषागार संहिता के नियम 331 के अनुसार अन्य राज्य सरकार/केन्द्र सरकार से आपूर्ति या सेवा के मामलें में भुगतान चेक/ड्राफ्ट द्वारा किया जाता है।

- परंतु किसी भी चिकित्सा पदाधिकारी ने उसके उपलब्ध आवंटन से एम0एस0डी0 का भुगतान नहीं किया । एम0एस0डी0 कहता है कि पे एण्ड एकाउन्ट्स ऑफिस, स्वास्थ्य मंत्रालय, केन्द्र सरकार को महालेखाकार से चेक द्वारा भुगतान मिलता रहा। महालेखाकार कहता है कि उसके राज्य सरकार के विभिन्न मदों का जो पैसा था उससे वह भुगतान कर मुख्यालय को सूचित करता रहा ? पटना मुख्यालय के अनुसार एम0एस0डी0 से खरीद एवं भुगतान के बारे में उसे कोई सूचना नहीं है ।

- **क्या वर्षानुवर्ष इस प्रकार की अवैध दवा खरीद बिना मुख्यालय, एम0एस0डी0 महालेखाकार, चिकित्सा पदाधिकारी की मिलीभगत एवं राजनैतिक संरक्षण के बिना संभव था ?**

- 17 नबम्बर' 1994 को दुमका के उपायुक्त ने सचिव , गष्ह(विशेष) के माध्यम से पत्रांक–2884 द्वारा बिहार सरकार को इस घोटाले की जाँच सी0 बी0 आई0 से कराने का प्रस्ताव दिया था। तत्कालीन स्वास्थ्य मंत्री सुधा श्रीवास्तव ने संचिका सं0–10/क्रय–1–03/92 में 16.3.94 को तथा स्वास्थ्य आयुक्त ने भी सी0 बी0 आई0 से जाँच कराने के आशय की टिप्पणी संचिका पर दर्ज की । वर्तमान स्वास्थ्य मंत्री डॉ0 महावीर प्रसाद ने सी0 बी0 आई0 जाँच के संबंध में लिखा।

- बिहार विधान सभा की दवा घोटाला जाँच समिति ने भी सी0 बी0 आई0 से जाँच की अनुशंसा की। परन्तु जानबुझकर मुख्यमंत्री श्री लालू प्रसाद द्वारा सी0 बी0 आई0 जाँच को रोका गया । विधान सभा में जुलाई'96 में हंगामा होने पर मुख्यमंत्री ने सी0 बी0 आई0 जाँच कराने की घोषणा की ।

- केन्द्र सरकार का गष्ह मंत्रालय जबतक अधिसूचना जारी नहीं करता है तब तक सी0 बी0 आई0 जाँच प्रारम्भ नहीं कर सकती है। बिहार सरकर ने केन्द्र पर दबाव डालकर अधिसूचना को रूकवा दिया। **परिणामतः आज तक दवा घोटाले की जाँच प्रारम्भ नहीं हुई है।**

- एम0एस0डी0 कलकत्ता से **103 करोड़** के दवा घोटाला के अतिरिक्त टी0बी0 दवा के मद में 65 करोड़?, राष्ट्रीय मलेरिया उन्मूलन कार्यक्रम के तहत **11 करोड़,** स्वास्थ्य विभाग में अवैध निकासी के रूप में **120 करोड़** जैसे अनेक मामलों का भंडाफोड़ हुआ है।

- 29 फरवरी'95 के **"आज"** के अनुसार स्वास्थ्य विभाग के अपर सचिव श्री बी0के0त्रिपाठी ने एक गुप्त सूचना के आधार पर राज्य के विभिन्न 16 यक्ष्मा अस्पतालों के लिए फर्जी आदेश, कागजी आपूर्ति और अवैध तरीके से क्रय किया गया लगभग **65 करोड़** मूल्य का दवा घोटाला का पर्दाफाश किया है जिसमें अकेले **नालन्दा जिला यक्ष्मा** अस्पताल में मात्र 1994–95 में लगभग **10 करोड़ 5 लाख** मूल्य के तीन हजार कार्टून यक्ष्मा दवा की खरीद का मामला शामिल है।

- 20 फरवरी के "आज" के अनुसार स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग में अभी तक बजट

आवंटन से **120 करोड़** फाजिल और अवैध निकासी पकड़ में आयी है। अधिकारी व्यय की यह रकम **103 करोड़** के एम0एस0डी0 खरीद **के अलावा है।**

	वर्ष	**आवंटन**	**अधिकाई व्यय**
ग्रामीण परिवार कल्याण केन्द्र	1989–90	18.68 करोड़	87.02 करोड़
सहायक परिवार कल्याण केन्द्र	89–90	41 लाख	91 लाख
मातष्त्व तथा बाल स्वास्थ्य	87–88		27 लाख
	89–90		56 लाख
अन्यान्य औषधालय	84–85		7 करोड़
	88–89		13 करोड़
अनुमंडलीय अस्पताल	87–88		2.10 करोड़
	88–89		75 लाख
	89–90		89 लाख
राँची मानसिक आरोग्यशाला	87–88		1.01 करोड़
प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र	88–89		2.94 करोड़
राष्ट्रीय मलेरिया कार्यक्रम	92–93		11.42 करोड़
सदर अस्पताल	85–86		1.02 करोड़
	87–88		3.64 करोड़
	89–90		7.18 करोड़

- महालेखाकार, बिहार, पटना के निरीक्षण प्रतिवेदन के अनुसार जिन जिलों के कोषागारों से दवा की खरीद के लिए अधिक निकासी की गयी उनका ब्यौरा निम्न हैः–

1.	दरभंगा मेडिकल कॉलेज अस्पताल	1 करोड़ 16 लाख
2.	टी0बी0डी0सी0, दरभंगा	18 करोड़ 60 लाख
3.	टी0बी0 कार्यालय पटना	9 करोड़ 86 लाख
4.	नालन्दा जिला यक्षमा अस्पताल	10 करोड़ 5 लाख
5.	सिविल सर्जन, मधेपुरा	7 करोड़ 90 लाख
6.	सिविल सर्जन, दुमका	2 करोड़ 8 लाख
7.	कुष्ठ निवारण केन्द्र, जहानाबाद	3 करोड़ 4 लाख
8.	रेफरल अस्पताल, रामगढ़	84 लाख
9.	रेफरल अस्पताल त्रिवेणीगंज	98 लाख
10.	रेफरल अस्पताल, मोकामा	1 करोड़ 40 लाख
11.	रेफरल अस्पताल, किशनगंज	1 करोड़ 18 लाख
12.	रेफरल अस्पतल, कटैया (गोपालगंज)	1 करोड़ 4 लाख
13.	कुष्ठ निवारण केन्द्र, गोपालगंज	68 लाख
14.	कुष्ठ निवारण केन्द्र, राँची	1 करोड़ 14 लाख
15.	कुष्ठ निवारण केन्द्र, चाईबासा	1 करोड़ 17 लाख
16.	रेफरल अस्पताल ढाका	85 लाख

राज्य की जनता का अस्पतालों में दवायें मिलें या नहीं परन्तु उनके नाम पर प्रति वर्ष करोड़ों रूपये के दवा की कागजी खरीद तो हो ही रही है। दवा के बिना हजारों लोग बे मौत मरते रहे, लूट होती रही।

भूमि घोटाला : 400 करोड़ रूपये

- **400 करोड़ के भूमि घोटाले को उजागर करने पर बिहार सरकार के भू–राजस्व मंत्री श्री इन्दर सिंह नामधारी को लालू प्रसाद ने अपमानित और प्रताड़ित किया तथा मंत्रीमंडल से हटाने की धमकी दी।**

- श्री नामधारी ने 17 जून' 1996 को संवाददाता सम्मेलन में घोषणा की, कि केवल राँची की 200 एकड़ खासमहल की जमीन जिसकी कीमत लगभग **400 करोड़ रूपये होगी**, की अवैध बंदोबस्ती को–ऑपरेटिव सोसायटियों एवं विभिन्न व्यक्तियों कर दी गयी है।

- राँची की ही तरह जमशेदपुर, धनबाद एवं अन्य जिलों में बड़े पैमाने पर गैर–मजरूआ खासमहल तथा कैसरे हिंद की जमीन की अवैध बंदोवस्ती , हदबन्दी से अधिक जमीन की अवैध बिक्री, आदिवासियों की जमीन का गैरकानूनी हस्तांतरण –राजनीतिज्ञयों के संरक्षण में सरकारी कर्मचारीयों ने लाखों रूपये लेकर कर दिया है।

- राजस्व विभाग के अपर सचिव श्री अशोकवर्द्धन द्वारा 21 मामलों की जाँच में 11 मामलों में प्रथम दष्टया आरोप प्रमाणित। शेष 10 मामलों की जाँच पूरी कर अगस्त'96 में रिर्पोट सुपुर्द। परन्तु आज तक रिर्पोट को सार्वजनिक नहीं किया गया ।

- घोटाला उजागर होने के बाद श्री एस0 एस0 वर्मा को राँची का उपायुक्त बनाकर भेजा गया । इन्होंने तत्काल जमीन घोटाले के साक्ष्यों को नष्ट करना प्रारम्भ कर दिया । घोटाले पर लीपापोती करने के उददे्श्य से ही श्री अशोकवर्द्धन की रिर्पोट को पुनः छानबीन के नाम पर राँची के उपायुक्त को सुपुर्द कर दिया गया ।

- श्री एस0 एस0 वर्मा, मुख्यमंत्री के विशेष कष्पा पात्र तथा "बाल मुकुन्द" के नाम से कुख्यात है। श्री मुकुन्द प्रसाद ,लालू प्रसाद के पिछले छः वर्षो से विश्वस्त प्रधान सचिव हैं। श्री एस0 एस0 वर्मा , मुकुन्द प्रसाद के बाल संस्करण है। इसलिए इन्हें राजनीतिक हल्कों में " बाल मुकुन्द" कहा जाता है।

- ये वहीं एस0 एस0 वर्मा है जिन्होंने पशुपालन घोटाला उजागर होने के तुरंत बाद श्री लालू प्रसाद के निर्देश पर छोटानागपुर के जिलों में भ्रमण कर दस्तावेजों को नष्ट करने का काम किया था।

- तत्कालीन अपर मुख्य सचिव श्री के0 बी0 सक्सेना ने 1993 में राज्य सरकार को सुपुर्द अपने प्रतिवेदन में बताया था कि पिछले दो दशक में राँची में पदस्थापित 9 उपायुक्तों ने 196 मामलों में आदिवासियों की जमीन का गैर –आदिवासियों के नाम गैर –कानूनी हस्तांतरण किया ।

उपायुक्त	–	श्री एन0के0सिन्हा	–	47
उपायुक्त	–	श्री बी0पी0सिन्हा	–	9
उपायुक्त	–	श्री बी0पी0सिन्हा	–	23
उपायुक्त	–	श्री वाई0एन झाा	–	2
उपायुक्त	–	श्री अनुप मुखर्जी	–	11
उपायुक्त	–	श्री बी0के0सिन्हा	–	46
उपायुक्त	–	श्री मदन मोहन झा	–	18
उपायुक्त	–	श्री सजल चकवर्ती	–	11
उपायुक्त	–	श्री सुधीर प्रसाद	–	22

- श्री सक्सेना ने अनुशंसा की थी , कि इस अवैध हस्तांतरित भूमि को आदिवासियों को वापस किया जाय परन्तु आज तक कोई कार्रवाई नहीं हुई तथा इस रिर्पोट को दबा दिया गया ।

- राँची में 13 गष्ह निर्माण समितियों को **अरबों रूपये की 21 एकड़ जमीन** नाजायज तरीके से बन्दोवस्त कर दी गई जिसमें 2.5 एकड़ जमीन हिल व्यू गष्ह निर्माण समिति को दि गई है। जिसके सर्वेसर्वा पशुपालन घोटाला चर्चित आरोपी और राँची जिला बीस सुत्री कार्यान्वयन समिति के उपाध्यक्ष पद पर मनोनित किये गये श्री दयानन्द कश्यप है।

- छोटानागपुर काश्तकारी अधिनियम की धारा 49 के तहत उपायुक्त को प्रदत्त शक्तियों में गृह निर्माण समितियों को आदिवासी जमीन हस्तांतरित किये जाने का अधिकार शामिल नहीं था। परंतु राँची के उपायुक्तों के द्वारा 1974 से 1994 के बीच कम से कम 13 गृह निर्माण समितियों को आदिवासियों की जीमन हस्तांतरित की गयीः–

1.	हिल व्यू गष्ह निर्माण समिति	–	2.5 एकड़
2.	विक्रांत गष्ह निर्माण समिति	–	1.39एकड़
3.	जय भवानी गष्ह निर्माण समिति	–	0.47 एकड़
4.	विशाल गष्ह निर्माण समिति	–	2.43 एकड़
5.	रोहिणी गष्ह निर्माण समिति	–	8.81 एकड़
6.	रूपक गष्ह निर्माण समिति	–	0.683 एकड़
7.	निलांचल गष्ह निर्माण समिति	–	4.05 एकड़
8.	सार्वजनीक गष्ह निर्माण समिति	–	8.00 एकड़
9.	कुसुम गष्ह निर्माण समिति	–	0.016 एकड़
10.	प्रिय गष्ह निर्माण समिति	–	1.26 एकड़
11.	आदर्श गष्ह निर्माण समिति	–	2.7 एकड़
12.	डार्लिंग को–ऑपरेटिव	–	2.66 एकड़
13.	मेरी एण्ड जोसेफ सोसाइअी	–	70 कट्ठा

- श्री दयानन्द जिन्हें मुख्यमंत्री की कृपा से राज्यमंत्री का दर्जा प्राप्त है, ने नाजायज तरीके से आदिवासियों की जमीन खरीद कर 12 लोंगो को करोड़ों रूपये में बेच दिया जिसपर अधिकांशतः पशुपालन घोटाले से जुड़े लोगो ने आलिशान भवन तैयार किया है। आदालती आदेश के बाबजूद सरकार द्वारा कोई कार्रवाई नहीं की गई है।

- **श्री दया नन्द कश्यप वर्तमान में पशुपालन घोटाले में करोड़ो की फर्जी आपूर्ति के आरोप में पटना बेउर जेल में बंद हैं।** लालू प्रसाद से इनकी अन्तरंगता जगजाहिर है। 1995 के विधान सभा चुनाव में श्री कश्यप ने लालू प्रसाद को करोड़ों रूपये दिये । दक्षिण बिहार में भाजपा को पराजित करने के लिए श्री कश्यप ने लालू प्रसाद की राह पर क्षेत्रिय दल का गठन किया जिसने 25 से ज्यादा क्षेत्रों में 5–10 हजार वोट लेकर भाजपा को हराने का काम किया ।

- 1935 सर्वे के महत्वपूर्ण फाईल और रजिस्टर नष्ट कर दिये गये है। खतियान और रजिस्टर 11 के 235 पन्ने राँची समाहारणलय से गुम है। राजस्व पदाधिकारीयों ने जमीन माफिया से मिलकर इन दस्तावेजो को नष्ट कर दिया है।

- दक्षिण छोटानागपुर के प्रमंडलीय आयुक्त ने 1993–94 में ओरमांझी के अंचलाधिकारी श्री राजीव रंजन तथा सोनाहातु के अंचलाधिकारी श्री कलगु उराँव के विरूद्ध प्राथमिकी दर्ज करने तथा विभागीय कार्रवाई की अनुशंसा की परंतु सरकार ने कोई कार्रवाई नहीं की।

- पशुपालन विभाग के सबसे बड़े आपूर्तिकर्ता दीपेश चाँडक के पिता महावीर चाँडक ने राँची के खिजरी अंचल टाटीसिल्वे पंचायत के सिलवे गाँव के खाता न0–195, प्लॉट संख्या 115 में 14 डिसमिल जमीन और प्लॉट सं0–116 में 48 डिसमिल यानी कुल **एक एकड़** महावीर मुंडा की आदिवासी जमीन पर कब्जा कर अपना कारखाना लगा रखा है। जमीन सम्बन्धी यह मामला शेड्युल एरिया रेगंलेशन कोर्ट में गया जिसने महावीर मुंडा के पक्ष में फैसला सुनाया परन्तु कोई कार्रवाई नहीं हुई ।

- **बिहार सरकार को काफी पहले से घोटाले की जानकारी थी फिर भी कोई कार्रवाई नहीं की गयी** । 1992 में मंत्री मंडल की स्वीकषति के लिए राजस्व विभाग द्वारा खासमहल और गैरमजरूआ जीमन को मुक्त कर खुली बंदोवस्ती के निर्माण हेतु संलेख भेजा गया था परन्तु संलेख को दबा दिया गया। इससे राज्य के अरबों रूपये का राजस्व प्राप्त होने का अनुमान लगाया गया था।

- 1993 में विधान परिषद् सदस्य स्व0 परमेश्वर ने राँची जिला में करोड़ों के जमीन घोटाला के संबंध ध्यानाकार्षण दिया था। भूमि सुधार विभाग ने 27 जुलाई' 1993 को पत्रांक–1050 द्वारा राँची उपायुक्त से विस्तृत प्रतिवेदन मांगा। प्रतिवेदन में जाँचोपरांत आरोपों को सही ठहराया गया। परन्तु कोई कार्रवाई नहीं हुई।

- विधान सभा में 24 जून'96 को मुख्य मंत्री ने घोषणा की थी, कि राज्य की एक लाख एकड़ खासमहल की जीमन को फ्री होल्ड भूमि में परिवर्तित कर वर्तमान बाजार दर पर बंदोवस्ती हेतु सर्वदलीय बैठक बुलायी जायेगी। परन्तु आज तक नहीं बुलाई गयी। इस योजना के लागू होने पर राज्य सरकार को अरबों का राजस्व मिल सकता था। परन्तु राजनीतिज्ञयों तथा भ्रष्ट पदाधिकारीयों की मिलीभगत से राज्य के हजारों एकड़ खासमहल जमीन पर अवैध कब्जा है।
- *24 जून'96 को भाजपा सदस्यों द्वारा विधान सभा में जमीन घोटाले का मामला उठाने पर मुख्य मंत्री ने विधान सभा की समिति द्वारा जाँच का अश्वासन दिया । परन्तु 4 माह तक समिति गठित नहीं की गयी । भाजपा द्वारा धमकी देने पर नबम्बर'96 में जाँच समिति गठित।*

हें.. हें.. हें..

मुम्बई पुलिस का सिपाही

बिहार पुलिस के सिपाही से – मुम्बई की पुलिस इतनी तेज और चुस्त है कि वहाँ अपराध होने के 48 घंटो में ही अपराधी पकड़ लिया जाता है।

बिहार पुलिस का सिपाही

मुम्बई पुलिस के सिपाही से – हम से अधिक तेज नहीं नू है हमको तो 48 घंटे पहले ही पता चल जाता है कि कब कहाँ और कौन सा अपराध होने वाला है और अपराधी कौन है।

.....ई हे नू है लालू राज

हें.. हें.. हें..

वन घोटालाः 100 करोड़ रूपये

- **मुख्य मंत्री लालू प्रसाद किस प्रकार भ्रष्ट अधिकारीयों को ब्लैक मेल करते हैं और जब वह पूरी तरह उनकी दया पर आश्रित हो जाता है तो सारे नियम और कानूनी प्रावधानों को ताक पर रखकर उसे अभय दान दे देते है** इसका उदाहरण है वन विभाग में राज्य के खजाने से लगभग **100 करोड़ रूपये की लूट** की जाँच प्रक्रिया में निभायी गयी **श्री लालू प्रसाद की भूमिका** । पहले जाँच का सख्त आदेश और फिर सौदेबाजी हो जाने पर दंडात्मक कार्रवाई पर पूर्ण विराम ।

- वन एवं पर्यावरण विभाग में 1981 और 1991 के बीच कीटनाशक दवाओं और पौलीथिन बैग की फर्जी खरीद और फर्जी वृक्षारोपण में लगभग **100 करोड़** रूपये का घपला हुआ । इस घपले का रहस्योद्घाटन 1993 में हो गया । लंबी छानबीन के बाद 22 नबम्बर '94 से 30 जून '95 के बीच निगरानी अन्वेषण ब्यूरों में कुल 18 प्राथमिकियाँ दर्ज की गयी। पहली प्राथमिकी थी थाना कांड सं0 –27 और अंतिम प्राथमिकी रही कांड संख्या–48 कुल 217 अभियुक्तों के विरूद्ध धारा – 420, 427, 468, 471,409,201,109,120(बी) भा0द0वि0 एवं धारा 13(2) सह पठित धारा 13(1) (डी) भ्रष्टाचार उन्मूलन अधिनियम 1988 के तहत मामला दायर किया गया। 15 से 17 जुलाई' 95 के बीच 13 अधिकारी/कर्मचारी और 3 आपूर्तिकर्ता गिरफ्तार किये गये ।

- मामले को केन्द्रीय जाँच ब्यूरो (सी0 बी0 आई0) के पास भेजने की बात भी हुई । मुख्यमंत्री लालू प्रसाद ने इसका अनुमोदन भी कर दिया, पर बाद में मामला दबा दिया गया । जाँच कर रहे निगरानी विभाग के एस0पी0 को इन घोटालेबाजों की ओर से गंभीर नुकसान पहुँचाने की धमकी मिली।

- मामले की गंभीरता और घपले में भारतीय वन सेवा के अधिकारीयों की सहभागिता के मद्दे नजर निगरानी विभाग के **आरक्षी महानिरीक्षक ने 8 जून' 1995 को इस घपले की जाँच सी0**

बी0 आई0 से कराने की अनुशंसा की। सभी स्तरों पर अनुमोदित होने के बाद संचिका मुख्य सचिव श्री ए0 के0 बसाक के पास पहुँची जिसपर 28 जून' 1995 को उन्होंने मुख्यमंत्री को लिखा **" निगरानी विभाग के उपर्युक्त प्रस्ताव का कृप्या अनुमोदन किया जा सकता है "।** मुख्यमंत्री ने 3 जुलाई '95 की तारीख से उस पर हस्ताक्षर कर अपनी सहमति व्यक्त की।

- निगरानी विभाग के आरक्षी महानिरीक्षक ने वन एवं पर्यावरण विभाग के तत्कालीन सचिव श्री नरेन्द्र पाल सिंह को अपने पत्रांक –512, दिनांक 15.7.95 में लिखा , **" वन एवं पर्यावरण विभाग एक अधिसूचना जारी करे , जिसमें यह तथ्य निहित होना चाहिये कि करोड़ों रूपये की फर्जी खरीद तथा फर्जी वक्षारोपण के अग्रतर अनुसंधान का भार सी0बी0आई को सौंपा जाता है। "** इसी पत्र में विभाग को यह भी कहा गया था कि वह दर्ज प्राथमिकियों के नामित अधिकारीयों /कर्मचारियों को तत्काल निलम्बित करें। परन्तु न तो अधिसूचना निर्गत हुयी और न किसी को निलम्बित किया गया ।

- वन विभाग जाँच में बारबार अड़ंगा लगाता रहा । निगरानी विभाग के वरीय जिला अभियोजक राज किशोर राय ने 27 मार्च' 95 को ही लिखा था "कृकृकृकृकृ प्रशासी विभाग द्वारा इन अभियुक्तों की मदद की जा रही है और अनुसंधान के मार्ग में अड़ंगा अटकाया जा रहा है"। इसका एक और प्रमाण है – वन एवं पर्यावरण विभाग के सचिव द्वारा 24 अप्रैल '95 को निगरानी विभाग को पत्र लिखकर जाँच रोकने को कहा जाना । पत्र में लिखा गया था, **"कृकृकृप्रशासनिक कमेटी द्वारा जबतक इस मामले की जाँच नहीं कर ली जाये, तबतक किसी अभियुक्त पदाधिकारी पर अग्रतर कार्रवाई नहीं की जाय और आगे की अन्य सभी कार्रवाईयाँ स्थगित रखी जाय"।**

- उधर मुख्यमंत्री ने 16 अगस्त'95 को उच्चाधिकारीयों की बैठक बंलायी। बैठक में मुख्य सचिव, निगरानी आयुक्त, आरक्षी महानिदेशक (निगरानी), वन विभाग के सचिव और मुख्य वन संरक्षक शामिल हुये। बैठक में यह तय किया गया कि **" निगरानी विभाग अगले एक महीने में कोई गिरफ्तारी नहीं करे "** । वह भी तय किया गया कि इस बीच में वन विभाग सभी संबंधित पदाधिकारीयों और कर्मचारियों से सफाई मांग कर अपने मन्तव्य के साथ निगरानी विभाग को और मुख्य सचिव के माध्यम से मुख्यमंत्री को भी जानकारी देगा। वन विभाग यह सुनिश्चित करे की जो पदाधिकारी भागे हुए या भूमिगत है वे अपने काम पर लौट आयें और अपना स्पष्टीकरण दें । एक निश्चित अवधि में उनसे स्पष्टीकरण मांगा जाये । अगर वे स्पष्टीकरण नहीं देते है तो यह समझा जाय कि उन्हें कुछ नहीं कहना है। उसके बाद निगरानी विभाग आगे की कार्रवाई करेगा। इस बीच निगरानी विभाग भी अनुसंधान का अपना काम जारी रखते हुए बेस सबूत हासिल करने की कोशिश करे। दोषी और निर्दोष कर्मचारियों और अफसरों के संबंध में वन विभाग निगरानी विभाग को रपट देगा। उससे संतुष्ट होकर निगरानी विभाग उसी के मुताबिक कार्रवाई करेगा।

- बैठक में यह बात आई कि इस तरह की प्राथमिकी दर्ज करने से पहले निगरानी विभाग को , सरकारी परिपत्र के मुताबिक मुख्य सचिव के माध्यम से मुख्यमंत्री का अनुमोदन प्राप्त कर लेना था। निगरानी आयुक्त इस बात को देखें कि प्राथमिकी दर्ज करने से पहले यह प्रक्रिया

पुरी हुई थी या नहीं। आरक्षी महानिदेशक (निगरानी) ने यह प्रश्न उठाया कि इस बिन्दु पर निगरानी की राय के साथ संचिका भेजी गयी है जिस पर सरकार का आदेश अपेक्षित है। बैठक में यह तय हुआ कि प्रक्रिया को स्पष्ट और सरल करते हुए इस बिन्दु पर सरकार का आदेश फौरन हासिल किया जाय ।

- मुख्य मंत्री श्री लालू प्रसाद की अध्यक्षता में लिया गया उपरोक्त निर्णय गैर कानूनी और न्यायिक प्रक्रिया में हस्तक्षेप था जिसे निगरानी विभाग के एस0पी0 कमलेश कुमार ने 13 सितम्बर '95 को निगरानी विभाग के आई0जी0 और डी0आई0जी0 को भेजे अपने नोट में स्पष्ट किया था, " राज्य सरकार को स्थगन आदेश जारी करने का कोई कानूनी अधिकार नहीं है। ऐसा अधिकार सिर्फ अदालत को है। गिरफ्तारी के डर से वन विभाग के दोषी अफसर फरार थे । अब उन्हें काम पर लौट आने के लिये कहा जाना और उनसे काम लिया जाना न्यायिक प्रक्रिया की खुली अवहेलना है। इसमें निगरानी अन्वेषण ब्यूरो को भागीदार , नहीं होना चाहिए"।
- एस0पी0 कमलेश कुमार ने लिखा है कि " घोटाले से संबंधित जितनी भी प्राथमिकियाँ निगरानी थाना (पटना) में दर्ज की गई है , उनके अभियुक्तों के खिलाफ अत्यन्त ठोस और कागजी सबूत उपलब्ध है । साक्ष्य अकाट्य है। अकाट्य साक्ष्यों के कारण ही किसी भी अभियुक्त को किसी भी अदालत से जमानत नहीं मिल सकी जबकि वे सुप्रीम कोर्ट तक गये थे। अभियुक्तों ने लाखों रूपये खर्च करके बड़े–बड़े वकील रखे थे "।
- एस0पी0 कमलेश कुमार की उपरोक्त टिप्पणी मुख्यमंत्री लालू प्रसाद की सरकार के भ्रष्टाचारियों की कानून की सीमा से बाहर जाकर भी संरक्षण देने की पोल 'खोलने के लिये पर्याप्त है।
- 16 अगस्त' 1995 के निर्णय के बाद **100 करोड़** रूपये के वन विभाग के इस घोटाले के लिये जिम्मेवार अधिकारीयों /कर्मचारियों के विरूद्ध कोई कार्रवाई नहीं हुये। पुरे मामले को ठंढे बस्ते में डाल दिया गया।

वन विकास निगम का घोटाला : 50 करोड़

- यह घपला भी जमीन घोटाला के समान एक ऐसा घपला है जिसे स्वयं मंत्री ने पकड़ा पर मुख्य मंत्री के सामने बेचारे वन मंत्री ने घुटने टेक दिये और घपलेबाज नहीं पकड़े गये।

- **12 दिसम्बर' 1995** को जनता दल पार्षद श्री तनवीर हसन घ्यानाकर्षण के माध्यम से बिहार विधान परिषद् में वन विकास निगम में **50 करोड़** के घपले का मामला उठाया। केन्दु पत्ती का विक्रय, गोदाम, बोरे के क्रय, भाड़े की राशि को माफ करने, सागवान वृक्षों, मोहगनी वृक्षों की अवैध कटाई तथा करंज और साली बीज की खरीद में बरती गई अनियमितताओं से संबंधित 50 करोड़ के इस घोटाले से संबंधित संचिका या तो गायब कर दी गयी है या दबा दी गयी है।

- निगम द्वारा करंज बीज की खरीद में **68 लाख** रूपये खर्च किये गये, जबकि उसकी बिक्री से मात्र 8 लाख रूपये की प्राप्ति हुयी । अर्थात **60** लाख रूपये का घोटाला।

- तिरिल पोसी (वन) में **30–40 करोड़** रूपये के सगवान वृक्षों की अवैध कटाई हुयी । निगम के मुज्फरपुर प्रमंडल में सड़क किनारे लगे मोहगनी वृक्षों की कटाई से भी करोड़ो की अनियमितता हुई।
- राजकीय व्यापार प्रमंडल के तत्कालीन वन प्रमंडल पदाधिकारी **ए0के0दास पर 1 करोड़ 5 लाख रूपये गबन का मामला है।**
- विधान परिषद् के सभापति श्री जाबिर हुसैन ने अपने स्तर से संचिका की जाँच कर 17 जनवरी'96 को आदेश संख्या–133 एस. वन विभाग को आवश्यक कार्रवाई हेतु भेजा ।
- श्री हुसैन ने अपने जाँच प्रतिवेदन में उपरोक्त आरोपो को सही करार देते हुये निगम के तत्कालीन प्रबंध निदेशक श्री प्रेम शरण, मुख्य लेखा पदाधिकारी –सह–वित्तीय सलाहकार श्री वी0के0 त्रिवेदी और निदेशक विपत्र श्री बी0आर0षर्मा पर आपराधिक मुकदमा दर्ज करने की अनुशंसा की ।
- विभागीय मंत्री श्री तुलसी दास मेहता ने आरोपों को सही स्वीकार करते हुए इन तीनों पदाधिकारीयों को निलम्बित करते हुए उनके खिलाफ कठोरतम् कानूनी कार्रवाई की बात 21 अक्टुबर 1995 को कही थी ।
- विधान परिषद् के अध्यक्ष के आदेश के बावजूद कहीं कुछ नहीं हुआ । श्री प्रेम शरण जनवरी 1996 में सेवा निवृत हो गये । श्री त्रिवेदी अभी भी निगम में कार्यरत है। बी0आर0शर्मा का केवल सथानान्तरण हुआ।
- आखिर इन तीनों को निलम्बित कर और इसका अनुमोदन मुख्य सचिव के माध्यम से मुख्यमंत्री द्वारा होने की कार्रवाई आज तक क्यों नहीं हुई ? क्यों मुख्यमंत्री के स्तर से पूरे घपले को दबा दिया गया जबकि विभागिय मंत्री और विधान परिषद् के सभापति ने 50 करोड़ के इस घपले को स्वीकार किया था। जनता जबाब मांगती है ?

हें.. हें.. हें..

खेत सूखे सुखाड़ में

गाँव डूबे बाढ़ में

जनता जाय भाड़ में

राजा मस्त ...' चैताड़ में'

ऑडिट घोटाला : 478 करोड़ रूपया

आंकड़े झूठ नहीं बोलते

श्री लालू प्रसाद के नेतष्त्व में गठित जनता दल की वर्तमान सरकार राज्य की अभी तक की सरकारों में भ्रष्टतम सिद्ध हुयी है जिसने न मात्र पशुपालन विभाग के माध्यम से राज्य के खजाने को निर्ममतापूर्वक लूटा बल्कि भ्रष्ट अधिकारियों एवं कर्मचारियों को संरक्षण भी दिया। विभागीय अंकेक्षण प्रतिवेदन या भ्रष्टाचार संबंधी रहस्योद्घाटन श्री लालू प्रसाद के लिये भयादोहन के औजार सिद्ध हुये हैं जिनका उपयोग वे संबंधित अधिकारियों/कर्मचारियों को **"ब्लैकमेल"** करने के लिये करते हैं। पहले सजा की लंबी–चौड़ी घोषणा और फिर कृकृकृकृकृकृ.गहरी खामोशी। पशुपालन घोटाले में ही नहीं अन्य घोटालों के मामले में भी श्री लालू प्रसाद का यही चरित्र उभरकर आया है।

लालू प्रसाद की जनता दल सरकार किस प्रकार भ्रष्ट अधिकारियों को सहायता दे रही है उसका एक नमूना है राज्य में **478 करोड़ रूपये का ऑडिट घोटाला** और उस घोटाले में संलग्न अभियुक्तों को बचाने के लिये लालू प्रसाद और उनकी सरकारों की भूमिका –

- राज्य में लगभग 20 हजार ऐसे कार्यालय हैं जिनका अंकेक्षण बिहार का वित्त (अंकेक्षण) विभाग करता है जहां 655 स्वीकष्त पदो के विरूद्ध मात्र 467 कर्मचारी पदस्थापित हैं। कम से कम 188 पद अभी भी रिक्त हैं। **परिणामतः प्रतिवर्ष 3.5 प्रतिशत से 4 प्रतिशत कार्यालयों का ही अंकेक्षण हो पाता है। षड्यंत्रपूर्वक वित्त (अंकेक्षण) विभाग को पंगु बनाकर रखा गया है ताकि यह घोटालों को उजागर नहीं कर सके।**

- वित्त (अंकेक्षण) विभाग ने 1975 से 1991 के बीच मात्र पांच हजार कार्यालयों का अंकेक्षण कर गबन, दुर्विनियोजन, क्षति, असमायोजित एवं वसूली योग्य राशि में लगभग 478 करोड़ रूपये घपले का रहस्योदघाटन किया।

- घपले में शामिल अफसरों/कर्मचारियों से राशि की वसूली और उनके विरूद्ध कार्रवाई के प्रति लालू सरकार की लापरवाही के खिलाफ मान्नीय पटना उच्च न्यायालय में 1992 में एक लोकहित याचिका (सी.डब्ल्यू. जे.सी.–570/92) दायर की गयी। **जिसको राज्य सरकार ने 478 करोड़ के घोटाले को स्वीकार किया।**

- मान्नीय पटना उच्च न्यायालय के आदेश के आलोक में मुख्यमंत्री श्री लालू प्रसाद ने

30–6–92 को सभी विभागों के सचिवों की बैठक 1988–89 से 1990–91 के बीच की गबन राशि की वसूली की गति को तीव्र करने के लिये बुलाया। बैठक में एक सप्ताह के अंदर गबन की राशि की वसूली करने तथा जो अधिकारी राशि की वसूली नहीं करें उनके खिलाफ थाने में प्राथमिकी दर्ज करने और उनकी चल–अचल संपत्ति से राशि की वसूली का आदेश दिया गया। ज्ञापांक–1586, दिनांक 14.7.92 द्वारा बैठक की कार्रवाई परिचारित की गयी।

- बिहार के वित्तीय आयुक्त के पत्रांक–1788 दिनांक 31.3.92 द्वारा वसूली अवधि का विस्तार 1975–76 से 1991–92 तक कर दिया गया। पत्रांक–2417 दिनांक 1.10.92 द्वारा सभी विभागीय सचिवों/विभागाध्यक्षों को स्मरण दिलाया गया। परंतु न तो कोई प्राथमिकी दर्ज हुयी, न गिरफ्तारी हुयी और न घपलेबाज अधिकारियों की संपत्ति की कुर्की जब्ती हुयी।

- अगस्त, 1993, 13 जुलाई, 1994 और 3 जुलाई, 1995 के आदेश में मान्नीय पटना उच्च न्यायालय ने घपले की रकम की वसूली तथा दोषी अधिकारियों के विरूद्ध कार्रवाई का बार–बार निर्देश दिया, परंतु कोई कार्रवाई नहीं हुयी।

- 29 जून, 1994 को मुख्यमंत्री श्री लालू प्रसाद ने दोषी अफसरों की संपत्ति की एक पखवारे के भीतर कुर्की जब्ती की पुनः घोषणा की।

- स्व0 कर्पूरी ठाकुर के मुख्य मंत्रित्व काल में 1979 में अंकेक्षण प्रतिवेदनों पर द्रुत कार्रवाई के लिये एक ''हाई पावर कमिटी'' का गठन किया गया था, परंतु 1.5.81 के बाद इसकी बैठक कभी नहीं हुयी।

- मान्नीय पटना उच्च न्यायालय के लगातार **दबाव के बावजूद 478 करोड़** रूपये की यह गबन राशि में से अबतक मात्र **72 लाख रूपये की वसूली हो पायी है।** यह वसूली भी मात्र **25 विभागों** में हुयी।

यदि राज्य के सभी 20 हजार कार्यालयों का प्रतिवर्ष अंकेक्षण कराया जाए तो यह घोटाला 10 हजार करोड़ से ज्यादा का हो सकता है।

अतिरिक्त निकासी घोटाला : 5338 करोड़

- **लालू प्रसाद के शासन के प्रारंभिक पांच वर्षों में विभिन्न विभागों में बजट आवंटन से 3996 करोड़ रूपये की अतिरिक्त निकासी कर ली गयी,** परंतु सरकार ने न तो संवैधानिक प्रावधानों के तहत उसे नियमित किया और न इसकी जांच करायी। आज जबकि पशुपालन विभाग में हुए अधिक निकासी के अधिकांश भाग अवैध निकासी के रूप में सामने आ रहे हैं, लगभग **4000 करोड़ रूपये** की यह अतिरिक्त निकासी संदेह के घेरे में आ गयी है।

- **1977–78 से 1989–90 के 13 वर्षों** में जहां विभिन्न विभागों में अधिक निकासी की **राशि मात्र 1342 करोड़ थी, 1990–91 से 1994–95 के बीच 5 वर्षों में यह राशि बढ़कर 3996 करोड़ रूपये हो गयी।**

- संविधान की धारा–205 के अन्तर्गत बजट **आवंटन से अधिक की निकासी को अनुपूरक बजट के रूप में लाकर उसे नियमित किया जाना चाहिए था,** परंतु 1987 से लेकर आजतक किसी भी सरकार ने अधिक निकासी की राशि को विधान सभा के समक्ष लाकर उसे पारित नहीं कराया जो स्पष्टतः संविधान के साथ धोखाधड़ी है।

- ***राज्य सरकार के सेवानिवृत्त एवं सेवा निवृत्त होनेवाले अधिकारियों/कर्मचारियों को देय पेंशन का पूर्व अनुमान और तद्नुसार बजट में उसके प्रावधान के लिये गणना में कमी या बढ़ोतरी का आकलन परिवर्तनीय नहीं है। परंतु इस मद में भी बहुत बड़ी राशि की अधिक निकासी***

की गयी। यथा 1990–91 में 9.25 करोड़, 1991–92 में 30.48 करोड़, 1992–93 में 84.06 करोड़, 1993–94 में 98.43 और 1994–95 में 147.62 करोड़ (कुल 369.84 करोड़) की अधिक निकासी की गयी।

- *इसी बीच महालेखाकर बिहार के फर्जी प्राधिकार पत्रों के आधार पर विभिन्न बैंक शाखाओं और कोषागारों से पेंशन मद की 250 करोड़ रूपये से अधिक की अवैध निकासी का मामला पकड़ में आया है।राज्य सरकार के चालू वित्तीय वर्ष के लिए सेवा निवृत्त कर्मचारियों को पेंशन भुगतान करने के लिए बजट में 450 करोड़ रूपये का उपबंध किया गया था लेकिन फर्जी प्राधिकार पत्रों के जरिए इस वित्तीय वर्ष के आठ महीने में ही करीब 550 करोड़ रूपये की राशि निकाल ली गयी। इस पूरे वर्ष में अब 450 करोड़ रूपये के बजट उपबंध के एवज में 700 करोड़ रूपये खर्च होंगे। इस प्रकार वर्ष में मात्र पेंशन मद में 250 करोड़ रूपये की फर्जी निकासी संभावित है।*

- राज्य सरकार द्वारा लिये गये ऋण के ब्याज में भी देय राशि की पूर्व गणना की जा सकती है। परंतु इस मद में भी 1990–91 में 228.00 करोड़, 1991–92 में 1,111.81 करोड़, 1992–93 में 1284.74 करोड़, 1993–94 में 446.06 करोड़, अर्थात **चार वर्षों में कुल 3070. 61 करोड़ रूपये की अधिक निकासी की गयी।**

- *वर्ष 1977–78 से 89–90 के बीच जहां तेरह वर्ष में 13 अरब 42 करोड़ 41 लाख 76 हजार 882 रूपये की अतिरिक्त निकासी की गयी वहीं 1990–91 से 1994–95 के बीच पांच वर्षों में 3996 करोड़ रूपये की निकासी हुई।*

भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक के प्रतिवेदन के आधार पर वर्ष 1990–91 से 1994–95 तक अधिकाई व्यय–विवरणी :–

अधिकाई व्यय

		1990–91	1991–92	1992–93	1993–94	1994–95	कुल
1.	पेंशन	9,24,67,775	30,48,15,019	84,06,47,985	98,42,70,166	1,47,61,99,307	3,69,84,00,252
2.	ब्याज अदायगी	2,28,06,71.464	11,11,81,92,894	12,84,74,53,468	4,46,06,68,657		30,70,69,86,483
3.	कृषि	19,75,964					19,75,964
4.	मू0 लघु सिंचाई	18,26,55,732					18,26,55,732
5.	पशुपालन	29,28,61,782	70,72,04,846	87,77,27,635	1,25,02,73,056	1,70,60,68,251	4,83,41,35,570
6.	उद्योग	48,97,139					48,97,139
7	विधान मंडल		14,47,234	2,88,232			17,76,128
8	दैवी विपत्ति		5,24,152				5,24,152
9	मुद्रण		81,24,228				81,24,228
10	सहकारिता		13,86,37,079				13,86,37,079
11	न्याय प्रशासन			84,836			84,836
12	शिक्षा			5,48,33,123	32,65,20,229		38,13,53,352
		2,85,55,29,856	12,27,89,86,114	14,62,10,35,279	7,02,17,32,108	3,18,22,67,558	39,95,95,50,915

असमायोजित राशि घोटाला : 4,867.23 करोड़ रूपये

- **प्रत्येक विभाग अपने विभागीय बजट की सीमा के अंदर ही खर्च करे और उसपर नियंत्रण रखे**, इसके लिए वित्तीय नियमावली में यह स्पष्ट प्रावधान है कि विभाग अपने रेकर्ड का महालेखाकार के रेकर्ड के प्रत्येक माह या कम से कम तीन माह में एक बार मिलान करे। **परंतु 1884–85 के बाद सरकार ने इस ओर कोई ध्यान नहीं दिया।**

- भारत के तत्कालीन नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक श्री टी.एन. चतुर्वेदी ने 11 फरवरी, 1985 को ही इस ओर बिहार के तत्कालीन मुख्यमंत्री श्री चन्द्रशेखर सिंह का ध्यान आकष्ट किया था। 22 मई, 1992 को नियंत्रण एवं महालेखा परीक्षक श्री सी.जी. सोम्मैया ने पुनः बिहार के मुख्य सचिव श्री अरूण पाठक को इस संबंध में लिखा। परंतु **बिहार सरकार इस ओर कतई गंभीर नहीं हुई।**

- 1884–85 के बाद के प्रतिवेदनों में बार–बार विभागीय आंकड़ों के समाधान नहीं किये जाने की बात कही गयी है। 1993–94 के लेखा परीक्षा प्रतिवेदन में भी इसका जिक्र है। परंतु सरकार ने इसकी उपेक्षा की। इसका परिणाम यह है कि 1984–85 वर्ष तक विभिन्न विभागों की **3023 इकाइयों में 4867.23 करोड़ रूपये** के असमायोजित राशि का अधिकांश भाग घोटाले के रूप में सामने आया। चाहे वह पशुपालन विभाग हो या पथ निर्माण विभाग। **इसलिए सरकार 4,867.23 करोड़ रूपये की असमायोजित राशि की जांच करवाने से परहेज कर रही है।**

समायोजित नहीं की गयी राशि का विभागसः ब्योरा

क्र.सं.	विभाग	इकाई	असमायोजित राशि करोड़ में
1	**2**	**3**	**4**
1.	मानव संसाधन विकास	498	1706.12
2.	वित्त	84	507.42
3.	ग्रामीण विकास	178	448.81
4.	उर्जा विभाग	11	553.33
5.	चिकित्सा एवं लोक स्वास्थ्य	194	307.15
6.	भूमि सुधार	51	228.45
7.	भू–राजस्व	141	147.84
8.	कषषि कार्य	306	122.30
9.	लोक निर्माण	46	103.41
10.	लघु सिंचाई	22	89.23
11.	लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण	44	14.40
12.	विधि	43	63.85
13.	जल संसाधन (सिंचाई) विभाग	187	60.90
14.	सहकारिता	172	41.98.
15.	शहरी विकास	81	72.43
16.	जल संसाधन (बाढ़ नि.) विकास	12	22.77
17.	तकनीकि शिक्षा	82	19.26
18.	वन एवं पर्यावरण	255	12.94
19.	नागरिक आपूर्ति	10	11.51
20.	भू–संरक्षण	19	10.46
21.	कल्याण	182	11.51
22.	निबंधन	54	8.86
23.	पंचायती राज	07	8.73
24.	सड़क परिवहन	02	7.53
25.	सूचना एवं जन संपर्क	11	7.46
26.	प्राकषतिक विपत्तियां	06	7.96
27.	**पशुपालन एवं मत्स्य पालन**	**07**	**252.32**
28.	खान एवं भू–विज्ञान	69	7.03
29.	गव्य विकास	25	3.32
30.	आवास विभाग	13	3.67
31.	गष्ह (विशेष) विभाग	04	2.48
32.	पर्यटन	179	1.79
33.	कार्मिक विभाग	08	0.01
		योग– 3023	**योग (करोड़ में) 4867.23**

"मंत्री परिषद" घोटाला

- **प्रत्येक मंत्री/राज्य मंत्री के कार्यालय व्यय के नाम पर प्रत्येक वर्ष 40–70 हजार रूपये खर्च का प्रावधान बजट में किया गया है। परंतु फर्जी बिल बनाकर उस शीर्ष से पशुपालन से समान करोड़ों रूपये निकाले गये।**

- लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग में 1990–96 के दौरान मंत्री के 7 कर्मचारियों ने 5 आपूर्तिकर्ताओं के साथ मिलकर 63.91 लाख रूपये की फर्जी स्टेशनरी खरीद ली। केवल जनवरी 91 से मार्च 91 के तीन माह में 324 बिजली बल्ब, 90 बिजली लैम्प, 21 उनी कार्पेट, 50 मसनद, 50 तौलिया, 37 घंटी 35 टेलीफोन *चरबी* के नाम पर लाखों रूपये का फर्जी खर्च दिखाया गया। महालेखाकार द्वारा 5 दिसंबर, 96 को इस घोटाले का पर्दाफाश करने पर 17 दिसंबर, 96 को सचिवालय थाना में प्राथमिकी दर्ज की गई।

- बिहार सरकार और मुख्य मंत्री लालू प्रसाद की नाक के नीचे पटना सचिवालय कोषागार से विगत् 6 वर्षों में "2013 मंत्रीपरिषद" व्यय–शीर्ष के अंतर्गत **करोड़ों रूपये की फर्जी निकासी की गई। राज्य के प्रायः सभी मंत्रियों के आवास एवं सचिवालय स्थित कार्यालयों के कागज, पेंसिल, स्टेशनरी, पर्दा आदि के नाम पर निकासी अधिकारी के जाली हस्ताक्षर से करोड़ों रूपये की अवैध निकासी की गयी है।** इस जाली निकासी को रोकने में न तो बैंक और न ही कोषागार ने रूचि ली।

- लघु सिंचाई विभाग में विभागीय मंत्री के आवासीय कार्यालय खर्च हेतु वर्ष 1944–95 में मात्र **60 हजार बजट आवंटन था**। लेकिन इसके एवज में **32 लाख 15 हजार रूपये निकाल लिए गए,** जिसका न तो कोई लेखा जोखा है और न ही कहीं समान है। झूठी खरीदारी हुई। फर्जी बिल बनाकर पैसे निकाल लिये गये। निगरानी विभाग ने 11 पदाधिकारियों–कर्मचारियों पर आपराधिक मुकदमा दर्ज कर गिरफ्तारी की है।

- इस घोटाले में राज्य सरकार के मंत्री, विभागीय सचिव से लेकर जिलाधिकारी तक की मिलीभगत है। 10–15 वर्षों के इस बजट शीर्ष का अंकेक्षण नहीं कराया गया। मुख्य मंत्री लालू प्रसाद ने

14 अप्रैल 1996 को संवाददाता सम्मेलन में घोषणा की थी कि करोड़ों रूपये के मंत्री परिषद घोटाला की जांच सी.बी.आई. से करायी जायेगी। परंतु 2 माह बाद भी जांच सी.बी.आई. को नहीं सौंपी गयी।

- इसी प्रकार उत्पाद एवं मद्य निषेध विभाग के जरिए पटना सचिवालय कोषागार से पिछले तीन वित्तीय वर्ष (1992–93 से 1994–95) के दौरान 1 करोड़ 13 लाख की फर्जी निकासी की गई। राहत एवं पुनर्वास विभाग में भी कार्यालय व्यय के नाम पर 32 लाख रूपये की फर्जी निकासी से संबंधित मामला पकड़ा गया है।

- विधान सभा चुनाव (1995 मार्च) अवधि में जल संसाधन विभाग में जनवरी 95 से मार्च 95 के बीच 8 लाख रूपये की फर्जी निकासी स्टेशनरी के नाम पर की गई। जबकि बजट आवंटन मात्र 60 हजार रूपये था। जिन प्रतिष्ठानों से स्टेशनरी खरीद दिखाई गई उनका अस्तित्व ही नहीं था। **क्या यह निकासी विभागीय मंत्री श्री जगतानन्द की मिली भगत के बिना संभव था? क्या यह पैसा विधान सभा चुनाव के लिए तो नहीं निकाला गया था? यह सवाल पूछती है इनसे – बिहार की जनता।**

- एक अल्प सूचित प्रश्न के उत्तर में सरकार ने बिहार विधानसभा में 28 दिसंबर 1996 को स्वीकार किया है कि 1993–94, 1994–95 और 1995–96 के मात्र तीन वर्ष में मुख्य शीर्ष ''2013–मंत्री परिषद–800–अन्य व्यय'' के अधीन अबतक 12 करोड़ 34 लाख रूपये की अधिक निकासी कर ली गयी।

वर्ष	**बजट उपबंध**	**वास्तविक व्यय**	**अधिक निकसी**
1993–94	1,41,30,000	6,59,49,530	5,18,19,350
1994–95	1,47,60,000	7,67,27,486	6,19,67,486
1995–96	1,47,60,000	2,43,73,093	96,13,093
कुल	**4,36,50,000**	**16,70,50,109**	**12,34,00,109**

12 करोड़ 34 लाख रूपये की उक्त कपट पूर्ण निकासी मात्र बारह विभागों से संबंधित मंत्रियों की स्थापना व्यय की जांच के क्रम में पायी गयी है। इनमें से भी मात्र 7 मामलों में अभी तक आपराधिक मामले दर्ज किये गये हैं, जिनमें 3 करोड़ 26 लाख रूपये की राशि सन्निहित है।

व्याख्याता नियुक्ति घोटाला :

- **बिहार राज्य विश्वाविद्यालय सेवा आयोग द्वारा व्याख्याताओं की** नियुक्ति के लिये आयोजित परीक्षा राजनैतिक संरक्षण में पलने वाले भ्रष्टाचार और **भाई–भतीजा वाद का एक नायाब नमूना** के रूप में सामने आया।

- जनता दल सांसद श्री तसलीमुद्दीन के अनुसार ''**व्याख्याता नियुक्ति में एक–एक उम्मीदवार से डेढ़ लाख रूपये से दो लाख रूपये तक लिये गये। हवालाकांड से भी अधिक पैसे का इस नियुक्ति में लेन–देन हुआ।** जहां गरीब और प्रतिभाशाली उम्मीदवारों की उपेक्षा की गयी, वहीं **वी. आई.पी. के बेटे–बेटियों, दामादों, पुत्र वधुओं और दूसरे रिश्तेदारों को व्याख्याता बना दिया गया।''**

जनता दल के वरिष्ठ विधायक श्री मुंशीलाल राय कहते हैं – ''व्याख्याता बहाली में सौ फीसदी धांधली हुई है। इस घोटाले में चौतरफा बंदरबाट हुई है। अब सवाल है कि पीड़ित पक्ष किससे फरियाद करे''?

- राज्य विश्वविद्यालय सेवा आयोग के **अध्यक्ष के सात संबंधी और निजी सचिव, आयोग के सचिव के पुत्र, आयोग के अधिवक्ता के रिश्तेदार, उच्च शिक्षा निदेशक के तीन पुत्र–पुत्रवधू, जनता दल के तीन विधायक, बिहार सरकार के कई मंत्रियों के निकट संबंधी, जनतादल के पूर्व विधायक, और उनके संबंधी, एक दर्जन विश्वविद्यालय के कुलपति, प्रति कुलपति और पूर्व कुलपतियों के नाते–रिश्तेदार, प्रमुख पदों पर पदासीन वरिष्ठ अधिकारियों के सगे संबंधी व्याख्याता के रूप में नियुक्त किये गये। इनकी नियुक्ति के लिए सारे स्थापित नियम–कानून को ताक पर रख दिये गये।**

- 1992 में धर्मेन्द्र किशोर सिंह बनाम बिहार राज्य विश्वविद्यालय सेवा आयोग के मामले में आयोग के सचिव ने उच्च न्यायालय में प्रतिशपथ–पत्र दाखिल कर कहा था कि आयोग के अध्यक्ष चुंकि अंतर्वीक्षा में शामिल हो रहे हैं, अतः उन्होंने अपना कार्यभार डा0 शमीम अहमद को सौंप दिया।

इतना ही नहीं प्रतिशपथ में यह भी कहा गया था कि शैक्षणिक योग्यता पर अब 65 प्रतिशत और अंतर्वीक्षा पर 35 प्रतिशत रखा गया है।

- परंतु फरवरी 96 से अगस्त 96 तक आयोजित इंटरव्यू में आयोग के अध्यक्ष और सचिव की पुत्र–पुत्रियाँ, पुत्र वधुएँ शामिल थीं फिर भी वे अपने–अपने पदों पर जमे रहे।

- धांधली ऐसे हुई..... पूर्व **के प्रावधानों को बदलकर शैक्षणिक योग्यता पर मात्र 40 प्रतिशत अंक रखा गया जबकि अंतर्वीक्षा पर 60 प्रतिशत।** यदि ऐसा नहीं होता तो पटना विश्वविद्यायल में **नियुक्त 58 व्याख्याताओं में 30 निश्चित रूप से व्याख्याता पैनेल** में नहीं आते। **इन 58 व्याख्याताओं में 7 ऐसे व्याख्याता हैं जिन्हें मैट्रिक से लेकर मास्टर डिग्री तक में किसी एक में तृतीय श्रेणी मिली, 4 को दो से ज्यादा द्वितीय श्रेणी तथा 11 को दो में द्वितीय श्रेणी मिली है।**

- **जनतादल के पूर्व विधायक श्री रामानन्द यादव को पटना विश्वविद्यालय के रसायन शास्त्र विभाग में व्याख्याता के रूप में नियुक्त किया गया है। उन्होंने मैट्रिक द्वितीय श्रेणी, इंटरमीडिएट तृतीय श्रेणी, स्नातक (पास कोर्स) और एम.एस.सी.स द्वितीय श्रेणी में उतीर्ण हैं। मनोविज्ञान के नवनियुक्त व्याख्याता श्री नन्दलाल पासवान को सिर्फ एम.ए. में द्वितीय श्रेणी मिली है। शेष सभी परीक्षायें उन्होंने तृतीय श्रेणी से उतीर्ण किया** है।

- **बिहार के एक कैबिनेट मंत्री की पत्नी को मनोविज्ञान विभाग में व्याख्याता नियुक्त किया गया है जबकि साक्षात्कार में उन्हें मात्र 4 अंक प्राप्त हुये थे।**

- **एल.एन. मिथिला विश्वविद्यालय में व्याख्याता के रूप में एक ऐसे व्यक्ति की नियुक्ति हुयी है जिसे मैट्रिक से एम.ए. तक सभी परीक्षाओं में तष्तीय श्रेणी प्राप्त हुयी थी।**

- 18 जून 1995 को आयोजित लिखित परीक्षा में लगभग 92 हजार परीक्षार्थियों ने भाग लिया। इनमें से 12 हजार उतीर्ण हुए। फरवरी '96 से अगस्त '96 तक चले इंटरव्यू में मात्र 1427 परीक्षार्थियों को उतीर्ण घोषित किया गया। **जिन 1427 उम्मीदवारों का चयन हुआ है उनमें 390 उम्मीदवार आयोग के अध्यक्ष की बिरादरी के हैं।**

- **अधिकतर एक्सटर्नल एक्सपर्ट एक ही विश्वविद्यालय (अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय) से बुलाये गये। विश्वविद्यालयों के चांसलर और राज्य के राज्यपाल डा. ए0 आर0 किदवई अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय के वाइस चांसलर रह चुके हैं इसलिए उनपर भी उंगली उठने लगी है।**

- बिहार विश्वविद्यालय अधिनियम के अनुसार व्याख्याताओं की नियुक्ति में साक्षात्कार लेने वाले विषय–विशेषज्ञ यूनिवर्सिटी प्रोफेसर से नीचे स्तर के नहीं हो सकते। **परन्तु इस अधिनियम की पूरी तरह उपेक्षाकर इंटरव्यू में रीडरों को रखा गया।** बाद में इसको नियमित करने के लिए **6 और 8 अगस्त 96 को चुपके से एक अध्यादेश निकालकर अधिनियम में ही संशोधन कर दिया गया और उसमें जोड़ दिया गया कि यूनिवर्सिटी प्रोफेसर की अनुपलब्धता पर उस विश्वविद्यालय या किसी दूसरे विश्वविद्यालय के रीडरों को भी इंटरव्यू बोर्ड में रखा जा सकता है।**

- साक्षात्कार का कार्य फरवरी,96 से प्रारंभ हुआ। इस बीच विधानसभा के दो सत्र चले। दूसरा सत्र 24 जून से 26 जुलाई तक चला। यदि सरकार की मनसा शुद्ध होती तो वह विधानसभा में विधेयक लाकर बिहार विश्वविद्यालय अधिनियम में अपेक्षित संशोधन कर सकती थी। परंतु उसने ऐसा नहीं किया और गुप्त ढंग से विधानसभा सत्र समाप्त होने के बाद अध्यादेश लाकर अधिनियम में संशोधन कर दिया गया। इतना ही नहीं उसे **"बैक–डेट" 1 जनवरी 1996 से प्रभावी कर दिया गया ताकि पूर्व में की गयी गड़बड़ी को ढंका जा सके।**

- अधिनियम के अनुसार "विश्वविद्यालयों के शिक्षकों एवं पदाधिकारियों की नियुक्ति में आयोग की सहायता करने हेतु कुलाधिपति द्वारा नाम निदेशित व्यक्तियों का चयन अंतर विश्वविद्यालय बोर्ड द्वारा **प्रस्तुत नाम से ही किया जायेगा**" का पालन करते हुए बोर्ड ने जनवरी 96 में ही साक्षात्कार बोर्ड का पैनल राजभवन भेज दिया। इसमें यूनिवर्सिटी प्रोफेसरों के ही नाम थे। परंतु इस पैनल की उपेक्षा कर प्रोफेसरों की जगह रीडरों को इंटरव्यू बोर्ड में रखकर इंटरव्यू लिया गया।

इसके कारण भी चांसलर–सह–राज्यपाल महोदय पर उंगली उठ रही है।

- **साक्षात्कार, परिणाम घोषणा और नियुक्ति में आयोग ने तरह–तरह के करिश्में किये :–**

- आयोग द्वारा प्रकाशित विज्ञापन में मानव विज्ञान विभाग के लिये पांच पद विज्ञापित किये गये। सफल पांचों उम्मीदवार राँची के थे। परंतु इनमें से किसी की नियुक्ति नहीं हुई। नियुक्ति हुई छठे उम्मीदवार की जो आयोग के एक पदाधिकारी के रिश्तेदार हैं।

- डॉ0 रश्मि पुरियार ने भागलपुर विश्वविद्यालय के संगीत विभाग में व्याख्याता के पद पर योगदान दे दिया। परंतु एक अधिसूचना जारी कर उनकी नियुक्ति रद्द कर दी गयी। नियुक्ति रद्द करने का कोई कारण नहीं बताया गया।

- समाचार पत्रों के माध्यम से रोल नंबर 104 को सफल उम्मीदवार घोषित किया गया। यह रोल नंबर भागलपुर के मिथिलेश कुमार सिंह का था। योगदान देने की गरज से वे जब विश्वविद्यालय गये तो उनके नाम की जगह श्री कपिलेश्वर प्रसाद सिंह का नाम था। भागलपुर विश्वविद्यालय ने विश्वविद्यालय से संपर्क किया। आयोग ने श्री कपिलेश्वर प्रसाद सिंह का योगदान स्वीकार करने का निर्देश दिया। बेचारे मिथिलेश की सारी खुशियाँ काफूर हो गई।

- नालन्दा के श्री वीरेन्द्र प्रसाद सिंह (क्रमांक–340) ने 27 जुलाई '96 को समाजशास्त्री में व्याख्याता पद के लिये साक्षात्कार दिया। समाचार पत्रों में क्रमांक–340 मगध विश्वविद्यालय में नियुक्ति के लिये विज्ञापित किया गया। परंतु जब वे योगदान देने गये उनके स्थान पर पहले से ही ज्ञानेन्द्र यादव ने योगदान दे दिया था। बेचारे वीरेन्द्र अभी भी फरियाद लेकर घूम रहे हैं। है न कमाल ! रौल नं0–एक, उम्मीदवार दो!!

- संगीत विषय की अंतर्वीक्षा के लिये हिन्दी के रीडर को एक्सपर्ट बनाया गया था।

घोटाले की हाँडी के कुछ चावल

व्याख्याता पद पर नियुक्त वी0आई0पी0 उम्मीदवार

1. श्रीमती सीता सिन्हा, विधायिका, जनता दल – कल्याणपुर (समस्तीपुर)
2. श्री सुरेन्द्र प्रसाद यादव, विधायक, जनता दल – बेलागंज (गया)
3. श्री मोहन राम, विधायक, जनता दल– दरभंगा ग्रामीण
4. श्री मोनाजीर हसन, विधायक जनता दल, मुंगेर
5. श्री रामानंद यादव, पूर्व विधायक, जनता दल – पटना पश्चिम (पटना)
6. श्री कष्ण सिंह – भतीजा– श्री जगदानन्द सिंह, मंत्री, बिहार सरकार
7. श्री बिंदेश्वर प्रसाद मंडल–भाई–श्री मंगनी लाल मंडल, मंत्री बिहार सरकार
8. पत्नी श्री अब्दुल बारी सिद्दिकी, मंत्री, बिहार सरकार
9. श्रीमती मनरवर जहां – पत्नी – श्री अब्दुल मल्लिक, विधायक, जनता दल
10. श्री चन्द्रिका यादव, जनता दल नेला, जहानाबाद
11. पत्नी श्री जावेद महमूद, प्रदेश महासचिव, जनता दल
12. पत्नी श्री मो0 शहाबुद्दीन, पूर्व विधायक, जनता दल
13. श्री अफरोज अशरफी – पुत्र डा0 एम0बहाव अशरफी, अध्यक्ष, विश्वविद्यालय सेवा आयोग
14. श्री अंजुम अशरफी – पुत्र डा0 एम0बहाव अशरफी, अध्यक्ष, विश्वविद्यालय सेवा आयोग
15. श्रीमती शाहिन शकील–पुत्रवधु डा0 एम0बहाव अशरफी, अध्यक्ष, विश्वविद्यालय सेवा आयोग
16. श्री हुमायूं अशरफी – निकट रिश्तेदार एवं आप्त सचिव, विश्वविद्यालय सेवा आयोग
17. श्री एकराम – बहन के दामाद, डा0 एम0बहाव अशरफी, अध्यक्ष, विश्वविद्यालय सेवा आयोग
18. श्री विनय सोरेन – पुत्र, श्री इ0जे0 सोरेन, सचिव विश्वविद्यालय सेवा आयोग
19. विश्वविद्यालय सेवा आयोग के अधिवक्ता, श्री युगल किशोर प्रसाद के रिश्तेदार
20. श्री ललित सागर – पुत्र, श्री विद्यासागर यादव, निदेशक उच्च शिक्षा, बिहार सरकार
21. श्री विमल सागर – पुत्र, श्री विद्यासागर यादव, निदेशक उच्च शिक्षा, बिहार सरकार
22. श्रीमती प्रज्ञा प्रसाद – पुत्रवधु, श्री विद्यासागर यादव, निदेशक उच्च शिक्षा, बिहार सरकार
23. श्री फजल अहमद – पुत्र, प्रो0 जियाउद्दीन अहमद, कुलपति, बाबासाहब भीमराव अम्बेदकर विश्वविद्यालय, मुजफ्फरपुर
24. श्री इफ्तेखार हुसैन – रिश्तेदार, डॉ0 शमशाद हुसैन, कुलपति, नालंदा खुला विश्वविद्यालय
25. श्री संजीव सिन्हा – पुत्र, प्रो0 एस0एन0 सिन्हा, कुलपति जे0पी0 विश्वविद्यालय, छपरा

26. पुत्र –संजीव सिन्हा, प्रो0 अब्दुल मोगनी, कुलपति, ल0ना0 मिथिला विश्वविद्यालय, दरभंगा
27. श्रीमती सहला यास्मीन– पुत्री, प्रो0 नजरे हसन, प्रति कुलपति, पटना विश्वविद्यालय
28. श्री शरद प्रबल – पुत्र, डा0 जे0पी0 सिन्हा, पूर्व कुलपति, ल0ना0 मिथिला विश्वविद्यालय
29. श्री मसूद अहमद काजमी– पुत्र, श्री एम.ओ. काजमी, पूर्व सचिव, इंटरमीडियेट शिक्षा पर्षद
30. श्री नसीमुल होदा– रिश्तेदार, प्रो0 नुरूल होदा, पूर्व प्राचार्य, बी0एन0 कॉलेज, पटना
31. पत्नी – श्री मुस्ताक अहमद नूरी, पूर्व सचिव, उर्दू अकादमी
32. पत्नी – श्री एजाज अली अर्शद, विभागाध्यक्ष, उर्दू बी0एन0 कॉलेज, पटना
33. पत्नी – डॉ0 अब्दुल समद, अध्यक्ष उर्दू सलाहकार समिति
34. भाई– श्री हुसैन हक, रीडर, उर्दू विभाग, मगध विश्वविद्यालय
35. पुत्री – प्रो0 बालेश्वर प्रसाद, अध्यक्ष, बिहार कॉलेज सेवा आयोग
36. पत्नी – डॉ0 पी0के0 पोद्दार, डीन, छात्र कल्याण पटना विश्वविद्यालय
37. श्रीमती सुनिति सिंह – पत्नी, डॉ0 महेन्द्र मधुकर, विभागाध्यक्ष, बाबासाहेब भीमराव अम्बेदकर विश्वविद्यालय, मुजफ्फरपुर
38. श्रीमती कल्पना श्रीवास्तव– पत्नी, प्रो0 दिलीप कुमार , प्राचीन इतिहास एवं पुरातत्व विभाग, पटना विश्वविद्यालय
39. श्रीमती अनुराधा सहाय – पत्नी, श्री शशि अनुग्रह नारायण, अपर महाधिवक्ता, बिहार सरकार
40. रिश्तेदार– डॉ0 बी0 एन0 सिंह, पूर्व प्रति कुलपति, मगध विश्वविद्यालय
41. रिश्तेदार –डॉ0 एम0ओ0 सिद्दिकी, अध्यक्ष, बिहार इंटरमीडियेट काउंसिल

- इनके अतिरिक्त निकटतम रिश्तेदारों की नियुक्ति व्याख्याता पद पर हुई है उनमें श्री शिशिर कुमार सिन्हा, आई0ए0एस0, श्री प्रशांत दत्ता, आई0 ए0 एस0, श्री गिरीश शंकर, आई0ए0एस0, प्रो0 बी0एन0 सिन्हा, पटना विश्वविद्यालय, डॉ0 सत्यदेव नारायण शर्मा, शिक्षक नेता, मगर विश्वविद्यालय, वाई.डी0 प्रसाद, सरदार देवनन्दन सिंह, प्रो0 रंजन यादव, सांसद, श्री वशीर अहमद, अपर आरक्षी अधीक्षक आदि प्रमुख हैं।

अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद एवं कई अन्य संगठनों ने इस नियुक्ति के विरूद्ध पटना उच्च न्यायालय में याचिका दायर किया है।

विकास के लिए सरकार के पास धन की कमी नहीं : लालू
!!!
सचमुच!
पशुपालन
अर्थव्यवस्था
पशुधन
साभार - पंक

'आदा' का सवाल है माई-बाप!
सुप्रीम कोर्ट
जांच आयोग
इस्तीफा
विधान
सामान्य

कुछ मेरा कुछ तेरा

दर्जी से दजर्नों मकान के मालिक

घोटाला के प्रमुख आपूर्तिकर्त्ता मो० सईद के आतिथ्य में लालू

हर शाम घोटालों के जाम

भारतीय जनता पार्टी विधान मंडल दल द्वारा प्रकाशित

मूल्य 5/- रु०